SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, I introduce the Bill.

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at seven minute's past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock

[The Vive-Chairman Dr. (Shrimati) Naima Heptulla *in the Chair],*

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1982 (Insertion of new article 343A)

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The quesiton was pm and tlie motion was adopted.

SHRI SYED SHAHABUDDIN : Madam, 1 introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1982 (to amend articles 16,19, 30 and omission of article 347)

SHRI BISWA GOSWAMI (Assam): Madarn, I beg td move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The qnestion was put and the motion was adopted.

SHRI BISWA GOSWAMI: Madam, I introduce the Bill.

THE PROMOTION OF SECULARISM BILL, 1982

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Madam, 1 beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the application of the principles of secularism in Govemment and administration.

The qnestion was put and the motion was adopted.

SHRI SYED SHAHABUDDIN : Madam, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1977 (to amend articles 120, 210, insertion of sew article 342-A and amendment of articles 343, 344, 346, 348 and 368) Contd.

श्री हुकमदेव नारायण यादव (बिहार) : उपाध्यक्ष महोदया, उस दिन इस विधेयक पर जो बहस चल रही थी मैंने सदन के सामने निवेदन यह किया था और मैंने अपने भाषण के क्रम में यह जरूर कहा था कि सरकार के जरिए हिन्दी की घोर उपेक्षा हो रही है । आज जो यह विधेयक लाया गया है कि अंग्रेजी को अनिवार्य किया जाय, हिन्दी को खत्म किया जाय तो यह हिन्दी वालों की उदारता का दुष्परिणाम है क्योंकि हिन्दी वालों ने इतनी उदारता बरती कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय यह कहा गया था कि 15 वर्षों तक हिन्दी अंग्रेजी साथ चलती रहेगी । 15 वर्षों तक उस प्रावधान को हम ने माना । उसके भी आगे अंग्रेजी को चलाने की जरूरत हुई तो हिन्दी वाले उस को मानते चले गये और जिसका दुष्परिणाम यह निकल रहा है कि कहा जा रहा है कि अंग्रेजी को ही हिन्दुस्तान में रहने दो और यह उनके जरिए कहा जा रहा है जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है बल्कि जिन की मातृभाषा तमिल है,

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

तेलुगू है, मलायालम है, कन्नड़ है । इस के बदले अगर उनकी अपनी देशी भाषाओं के बारे में आग्रह रहता तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं हो सकता था । लेकिन अपनी मातृभाषा को भी मिटाना और साथ-साथ हिन्दी को भी मिटाना और फिर हिन्दुस्तान को भी महारानी विक्टोरिया के शासन को वापस ले आना और उनकी जबान को ले आना उचित दिखाई नहीं पड़ता । इस सरकार के जरिये इस प्रकार हिन्दी की उपेक्षा होती है । आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि जो हिन्दी के सबसे अच्छे आशुलिपिक हैं उन को भारत की संसद में रखा जाता है और दूसरी जगह उन के मुकाबले के आशुलिपिक नहीं होते, जितने अच्छे आशुलिपिक भारत की संसद में हैं, लोकसभा और राज्यसभा में हैं । फिर भी सरकार की उपेक्षा इस माने में है कि सरकार ने श्री रामानन्द जी के प्रश्न के उत्तर में कहा ,राजभाषा को चलाने वाले जो आपके अधिकारी बैठे हैं बंगले में रहने वाले, जिनको हिन्दी से कोई मतलब नहीं, हिन्दुस्तान से कोई मतलब नहीं, उन्होंने कहा कि 80 से 100 शब्द तक प्रति मिनट हिन्दी में जो लिखते हैं उस से ज्यादा की आवश्यकता हमें नहीं है । वह यह मान कर चलते हैं कि भारत की संसद में या संसदीय समितियों में जो हिन्दी के आशुलिपिक हैं वे सरकारी आशुलिपिक नहीं हैं और वह यह मान कर चलते हैं कि भारत की संसद में और संसदीय समितियों में पार्लियामेंट के मेम्बर जो हिन्दी बोलते हैं उनको छोड़ कर बाकी जगह 80 से 100 शब्द से ज्यादा वाले की आवश्यकता नहीं है और उनको प्रोत्साहन नहीं देते । तो मेरा आरोप है कि जो सरकार का हिन्दी के लिए आग्रह होना चाहिए सरकार की ओर से हिन्दी को उस रूप में लागू करने में आनाकानी हो रही है जिसका यह दुष्परिणाम निकल रहा है जैसा कि आनाकानी करने वाले सरकारी अधिकारियों ने रामानन्द यादव के प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया । आप को यह भी सुन कर आश्चर्य होगा कि जो पार्लियामेंट के अन्दर, संसद के अन्दर हिन्दी के आशुलिपिक हैं उन की स्पीड 200 से ऊपर तक चली गयी है, लेकिन फिर भी कोई उन्हें प्रोत्साहन नहीं देता । मेरा आरोप है कि हिन्दी में जो आशुलिपिक हैं, जिन को स्पीड 200 शब्द प्रति मिनट से उपर है उनको आप प्रोत्साहन नहीं देते हैं । अगर उन को प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा, अगर उनको इनाम नहीं दिया जायगा तो आखिर चलेगा कैसे ? और दूसरी तरफ सरकारी कार्यालयों में जो हिन्दी के टाइप राइटर्स हैं–आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि उन का जो की बोर्ड होता है उस को हर तीन, चार साल के बाद बदल दिया जाता है और उस के बाद नया की-बोर्ड ला कर रख दिया जाता है । यह एक षडयंत्र है इस लिये कि अगर एक तरह का हिन्दी का की-बोर्ड रहेगा, टाइप राईटर्स का, तो हिन्दी के टाइपस्टिों की स्पीड बढ़ेगी और उन में अधिक दक्षता आयेगी । इस लिये कि उन में दक्षता न आने पाये और हिन्दी के टाइप राइटर्स ज्यादा बिकें, नया की-बोर्ड आने पर कंपनी वालों की ज्यादा मशीनें बिकेंगी इस के लिये हर दो, चार साल बाद उनके की-बोड बदल, दिये जाते हैं । इस के लिये सरकार अधिकारियों और कंपनी वालों का षडयंत्र चलता है और जब दूसरा की-बोर्ड दिया जाता है तो नये टाइप राइटर्स बिकते हैं । आपके सरकारी कार्यालयों में जो हिन्दी के प्रसार अधिकारी हैं, जो हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिये कार्य करते हैं उन लोगों ने कंपनी वालों की सहायता द यह षडयंत्र रचा है ताकि कंपनी के ज्यादा से

टाइप राइटर्स बिकें और इस तरह से वह कर्मचारियों को दक्षता प्राप्त नहीं करने देते हैं। जिन अधिकारियों ने कहा कि अस्सी और सौ तक की स्पीड वालों से हमारा काम चल जाता है मैं उन को चुनौती देता हूं कि वह अधिकारी आयें और भारत की पार्लियामेंट में बैठें और मेरे जैसा गांव में रहने वाला आदमी जो हिन्दी में बोलता है, अगर मेरे भाषण को वह 75 फीसदी भी अपने आशुलिपिकों से लिखवा दें तो मैं उस अधिकारी को बधाई दूंगा और इस बात को मानूंगा कि जो वह कहता है कि 80 या 100 की गति वालों से उस का काम चल जाता है वह बात सही है। तो टाइप राइटर्स के मामले में, आशुलिपिकों के मामले में जो राजभाषा के लिये विभिन्न अधिकारी हैं उन्होंने षड्यंत्र किया है। इस पर आप जरा गौर करें और ध्यान दें।

श्री वेंकटरामन जी जो थोड़े दिनों के लिए गृह मंत्री हुए थे उन्होंने श्री मूल चन्द डागा को एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि जो हिन्दी के आशुलिपिक हैं उनकी जो कला है उस को हम अन्य कलाओं के समान नहीं मानते हैं। यह अन्य ललित कलाओं की तरह एक कला नहीं है जब कि हम मानते हैं कि आशुलिपि भी एक कला है अन्य कलाओं की तरह और जिस तरह से अन्य राष्ट्रीय कलाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है उसी तरह से हिन्दी आशु-लिपिकों को भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उस को आप राष्ट्रीय स्तर की कला मानिए। अन्य कलाओं की तरह ही उस का शुमार किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही हिन्दी की प्रगति होगी। और मैंने यह भी निवेदन किया था कि संपूर्ण देश में जो हिन्दी के लिए दो समाचार एजेंसियां हैं–हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती, उन में से हिन्दुस्तान समाचार आज बंद होने जा रहा है। एक तरफ आप विश्व हिन्दी सम्मेलन करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद जी ने जिस को अपना आर्शीवाद दिया था, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी पहले इंफार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर बनी थीं उस समय उन्होंने आकाशवाणी में हिन्दु-स्तान समाचार से न्यूज लेना शुरू किया था, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आज उस हिन्दुस्तान समाचार को क्यों बन्द किया जा रहा है। आप ने वहां अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया है, वहां अपने अफसर बठाये हैं, जिम्मेदारी आपकी है, कि हिन्दुस्तान समाचार अंग्रेजी की किसी समाचार एजेंसी के मुकाबले ताकतवर बन सके। लेकिन आज उस को आप मारना चाहते हैं, उसको आप तोड़ देना चाहते हैं, उसको आप बंद कर रहे हैं और उसमें काम करने वालों के बच्चों को भूखों मारना चाहते हैं जिस से कि हिन्दी की समाचार एजेंसी न पनप सके। तो एक तरफ विश्व हिन्दी सम्मेलन हो रहा है और दूसरी तरफ हिन्दी समाचार एजेंसियों को मारा जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। यह आप की दोरंगी नीति है और इसको आप चला रहे हैं। हिन्दुस्-तान के अंदर हिन्दी की प्रगति नहीं हो रही है और दूसरी तरफ आप दुनियां में डेलीगेशन भेजते हैं, विदेशों में डेलीगेशन भेजते हैं कि वह देखे कि दुनियां में हिन्दी का कितना प्रचार हो रहा है। उस को देखना, उसको बढ़ाना और चलवाना आप का काम रहा है। इसलिए मैं आप से निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं और उस दिन भी मैं कह रहा था जब कि पीलू मोदी साहब बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। उन्होंने कहा था कि संस्कृत में या हिन्दी में इतना ज्ञान नहीं है। आज पीलू मोदी साहब यहां नहीं हैं, लेकिन मैं उन से पूछना

[श्री हुकमदेव नारायण यादव)

चाहता हूं और दूसरे सदस्यों से भी कि जो अंग्रेजी के समर्थक हैं, उन से भी पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप भाषाओं की तुलना मत करिए। हिन्दी का अपना स्थान है और अंग्रेजी का अपना स्थान है। जब हम हिन्दी बोलते हैं तो अंग्रेजी का चाहे बड़े से बड़ा विद्वान हो क्या वह हिन्दी में जो लोच है, जो हिन्दी में रस है उस का अनुवाद अंग्रेजी में कर सकता है? मैं पीलू मोदी जी से कहूंगा कि सूरदास ने जो कहा था :—

"निसि दिन बरसत नैन हमारे
सदा रहत पावस ऋतु मौपर जब से
श्याम सिधारे।

कंचुकी पट सुखत नहि कबहूं उर
बीच बहत पनारे।।"

पीलू मोदी साहब यहां नहीं हैं, मैं उन से कहना चाहता हूं कि वे विद्वान हैं तो अंग्रेजी में जरा अनुवाद कर के बता दीजिए कि 'श्याम की छटा' और 'राधा की घटा' का हमको अनुवाद कर के बता दीजिए। जो हिन्दी में शब्द हैं, मैं चुनौती दूंगा कि हिन्दी में जितने शब्द हैं, हिन्दी में दुनिया की भाषाओं के जितने शब्द अपनाये गए हैं उतना कोई भी भाषा नहीं अपना सकी है। किसी भाषा को इतनी ताकत नहीं है कि वह हिन्दी के समान अपने शब्दों को बढ़ा सके, उनको पचा सके। जो लोग यहां दक्षिण के लोग हिन्दी का विरोध करते हैं मैं उन से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने दक्षिण में संस्कृत का विरोध किया था उसका एक मात्र कारण यह था कि संस्कृत जानने वाले दक्षिण में थोड़े से लोग थे। उन्होंने समझा कि संस्कृत भाषा को कुछ मुट्ठी भर लोग जानते हैं अतः वह जनभाषा नहीं हो सकती, जो आम जनता की भाषा है उस के पक्ष में उन लोगों ने संस्कृत का विरोध किया था। इसलिए संस्कृत को हटाया और आम जनता की भाषा लाये। जो लोग आज हिन्दी का विरोध कर रहे हैं वह गलत है। जिस कारण से उस समय संस्कृत का विरोध हुआ था उसी कारण से अंग्रेजी का विरोध दक्षिण में भी होना चाहिए। अंग्रेजी के स्थान पर तमिल लाओ, तेलगू लाओ, मलयालम लाओ, कन्नड़ लाओ। लेकिन अगर वह यह कहें कि उत्तर भारत में हिन्दी भाषी प्रदेशों में दक्षिणभारत की कोई भाषा पढ़ाई जाए तो मैं इस सिद्धांत का आदर करूंगा दोनों को ही आवश्यक रूप से पढ़ाओ। उत्तर प्रदेश में तेलगु पढ़ाओ, तमिल पढ़ाओ या हिन्दी प्रदेशों में कोई गैर हिन्दी भाषा पढ़ाई जाएगी तो हम उसका सम्मान करेंगे, विरोध नहीं। लेकिन यह त्रिभाषा फारमूला चला कर हिन्दी को मारने का काम हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान की जो मान्यता रही है, संविधान की जो भावना रही है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य आदि एक से एक उत्तर और दक्षिण के तमाम नेताओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में एक राष्ट्रीय सहमति बनाई थी और उस राष्ट्रीय सहमति के आधार पर संविधान बनाया गया था। उसी राष्ट्रीय सहमति के आधार पर संविधान में यह व्यवस्था की गई कि अभी पन्द्रह वर्ष तक हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास किया जाए और तब तक अंग्रेजी जारी रहे। हिन्दी विकसित होने पर अंग्रेजी को नीचे लाने का काम होगा, यह हमारी राष्ट्रीय भावना थी, हमारी मूल भावना थी और आप उस राष्ट्रीय भावना का निरादर अपने आप कर रहे हो। हिन्दी को हमें सखी भाषा के रूप में लाना था लेकिन सखी के रूप में नहीं आपने उसे दासी बना कर रखा,

है और आप इसको सबकी भाषा के रूप में भी नहीं रहने देना चाहते हैं।

इस लिए हिन्दी के विरोध में यह जो प्रस्ताव आप लाये हैं, यह प्रस्ताव देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए ही नहीं हिन्दी के लिए भी खतरनाक है, उस से भी ज्यादा तमिल के लिए खतरनाक है, तेलगु के लिए खतरनाक है, उस से ज्यादा मलयालम के लिए खतरनाक है, उस से ज्यादा कन्नड़ के लिए खतरनाक है। यह गुरुमुखी के लिए खतरनाक है, गुजराती के लिए खतरनाक है। इसलिए इसको आप हटाइये। (**समय की घंटी**)

अखिर में, मैं निवेदन कर के खत्म करूंगा कि हम लोगों ने, हिन्दी प्रदेश वालों ने जितनी मात्रा में अनुवाद हिन्दी में किया है, चाहे वह रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों का हो, चाहे शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों का हो, चाहे बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय का हो, चाहे सुभाषचन्द्र बोस का हो, एक से एक जो गैर हिन्दी क्षेत्र के नेता हुए हैं, उनकी बातों को हिन्दी में हमने लिखा है और मैं अपने दक्षिण के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने उदारता बरती होती, जैसी बंगाल के लोगों ने बरती तो वहां के नेताओं को राष्ट्रीय नेताओं की उपाधि दे कर हम ने उनके साहित्य का, उनकी वाणी का प्रचार कर के सिर में लेकर नाचने का काम किया होता, आपके ऊपर मेरा आरोप है कि आपने पेरियार जैसे महान समाज सुधारक को, नेता को पैदा किया लेकिन चूंकि पैरियार की वाणी को आपने हिन्दी में नहीं आने दिया, पैरियार की भावना को आपने हिन्दी में नहीं आने दिया, इसलिए पैरियार आपने केवल तमिलनाडू और मद्रास में बांध कर के रखा। अगर पैरियार की वाणी को हिन्दी में स्थान दिलवाया होता, हिन्दी प्रदेशों में पैरियार को भी लाये होते तो पैरियार जैसे समाज सुधारक संपूर्ण भारत में समाज सुधारक बन सकते थे, समस्त हिन्दुस्तान के शोषितों, दलितों, आदिवासियों के मसीहा बनते और संपूर्ण देश में उनको आदर से पूजा जाता। लेकिन आपने केवल हिन्दी और अंग्रेजी के नाम पर उनके विचारों को भी दबाकर रखने का काम किया है। कृपा कर के अभी भी इसको छोड़िये आइये, राष्ट्रीय धारा में आइये, हिन्दी हिन्दुस्तान की भाषा है, उसका निरादर करना इस देश में बन्द करिए। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, उसे वापस जाना चाहिए।

गांधी जी की यही अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा।

श्री राम पूजन पटेल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मौका दिया। जो आज देश के एक-एक जन से संबंध रखता है उसके आधार पर देश का विकास करता है। मुझे इस संबंध में बात करनी है कि हमारे भाई ने जिस ने इस बिल को पेश किया है मैं समझता हूं देश की 99 प्रतिशत जनता के विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाला बिल है। ऐसा बिल लाना चाहिए जिससे देश की जनता यह समझे कि संसद के अंदर हम लोगों के विकास के लिए एक बिल पेश किया गया है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमारे देश की भाषा नहीं है। यह विदेशी भाषा है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी हिन्दुस्तान में कई सौ सालों राज करने

[श्री राम पूजन पटेल]

के बाद हमारे देश की जनता जिस गुलामी में जकड़ी हुई थी उसको भगाया अंग्रेजी चले गए लेकिन आज अंग्रेजी हमारे अंदर विद्यमान है । केवल हिन्दुस्तान में एक परसेंट जनता ऐसी है जो कि अंग्रेजी को सही ढंग से जान सकती है, बोल सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या उद्देश्य है जो इस संशोधन में रखा गया है 'इस संविधान के इस भाग या अन्य किसी उपबंध में होते हुए भी संघ की राजभाषा हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी होगी और संघ के सभी राज्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी।' लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि देश जब आजाद हुआ और हमारा संविधान बना तो उस समय साफ-साफ शब्दों में लिखा गया था कि अंग्रेजी को सम्पर्क, सहचरी भाषा 15 वर्ष तक रखा जाएगा। उसके बाद देश का सारा काम हिन्दी में होगा। खुशी तब होती जब देश की जनता की भावना को समझते हुए अपनी मातृ-भाषा जो हर क्षेत्र में अपनी भाषाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए बिल आता कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी कैसे बढ़ सकती है, देश की जनता कैसे हिन्दी पढ़ कर अपने देश को मजबूत बनायेगी तो बहुत अच्छी बात होती। आज हमारे साथी जो इस बिल को लाये हैं अगर अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपने राज्य की भाषा जिसको हमारे संविधान में मान्यता मिली हुई है– तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला असमिया, गुजराती आदि किसी भी भाषा के संबंध में बात करते तो यह बात समझ में आती कि यह देश के हित में बिल पेश किया गया है। मुझे खुशी तब होती है जब अपने देश का आदमी अपनी भाषा में बोलता है और गांव की जनता उस भाषा को बहुत ही कायदे से समझ लेती है और उस व्यक्ति का जवाब दे सकती है। लेकिन मैं देखता हूं, मैं अभी मद्रास गया था, बंगलौर गया था तो वहां की गरीब जनता गांव में रहने वाली जनता अंग्रेजी नहीं जानती । हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हर जगह की गरीब जनता अंग्रेजी नहीं जानती। केवल थोड़े ही इने गिने लोग अंग्रेजी बोलने वालों ने देश का शोषण करने को अपनी प्रवृत्ति बना रखी है। मैं समझता हूं जब तक देश के अंदर अंग्रेजी रहेगी तब तक गरीब अपने महत्व को अपने क्षमता को नहीं समझेगा और अधिकारी लोग गरीबों का शोषण करते रहेंगे। मुझे याद आता है जिसमें सांकेतिक भाषाएं होती हैं जिसके माध्यम से लोगों का शोषण होता है। जैसे कि रास्ते में कभी कभी बदमाश मिल जाते हैं लोगों को। एक साधू होता है वह रास्ते में नारायण , नारायण करता चला जाता है और उसके कुछ साथी नाले में छुपे रहते हैं। जब वह नाले के पास पहुंच जाता है तो जोर से चिल्लाता है– नारायण । सब बदमाश लोग निकल कर उस आदमी का सामान छीन लेते हैं जो उस साधु को मिलता है। नारायण का मतलब नर और आयण। यानी आदमी आ गया है अब नाले से निकलो और उसको लूट लो। वह आदमी समझता था कि भगवान की माला जप रहा है। इसी तरह से वह करता है नारायण दमोदर,। इसके माने यह हैं इस आदमी का पैसा गांठ में रखा हुआ है। ऐसी ही अंग्रेजी की भाषा है। गरीबी लोग जो इसको जानते नहीं हैं उनका शोषण करने की बात है। जितने भी अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं देश के अंदर अगर वे चाहते हैं कि देश की तरक्की हो तो अपने क्षेत्र की भाषा के विषय में बात करें, अपने क्षेत्र की भाषा को बढ़ावें । हिन्दी अपनी राष्ट्र भाषा है उसको आगे बढ़ावें । किसी भाषा से हमको विरोध नहीं है। मैं यह कहता हूं कि देश की जो जनता है जो अंग्रेजी नहीं जानती है उसके

लिये हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी राष्ट्र भाषा को मजबूत बनायें तभी हम देश को अपने क्षेत्र को मजबूत बना सकते हैं । एक बात और कहना चाहता हूं कि कि आप यह जानते हैं कि देश में 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है। किसान वर्ग है लेकिन वर्ग के लड़के कभी अफसर नहीं मिलेंगे । क्या कारण है ? कारण यह है कि अंग्रेजी बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न कर रही है । गांवों के लड़के बहुत मेधावी होते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करके निकलते हैं लिखने में बहुत तेज होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं और जब वे परीक्षा देते हैं तो लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं । लेकिन जब इन्टर व्यू का समय आता है तो इन्टरव्यू में बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं उनका संबंध केवल अंग्रेजी बोलने से रहता है गांवों के लड़कों को बोलने में क्षमता कम होने के कारण अंग्रेजी में वे अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं समझा नहीं पाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनको कम नम्बर दिये जाते है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर प्रदेश के अन्दर लड़कों के लिए वे जिस भाषा में लिखना चाहते हैं बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, उस भाषा में जवाब देने की की व्यवस्था होनी चाहिए । अंग्रेजी भाषा ही सम्पूर्ण ज्ञान का भंडार नहीं है । संसार में और भी बहुत-सी भाषाएं हैं । अंग्रेजी भाषा से ही हमारा विकास होगा, यह कोई विकास का रास्ता नहीं है । मैं तो कहता हूं कि दुनिया की सभी भाषाएं अच्छी है। जो जिस भाषा को पढ़ना चाहता है वह उस भाषा को पढ़े । लेकिन आप जानते हैं कि गुलामी के भी कुछ तरीके होते हैं। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं अगर कोई उनको मान ले तो वह गुलाम हो जाता है । किसी देश को गुलाम रखने के लिए वहां की भाषा, वहां का साहित्य वहां की संस्कृति वहां की सभ्यता, वहां का इतिहास और वहां की शिक्षा को मिटा दिया जाता है है और इस प्रकार वह देश सदैव गुलाम बना रहता है । हमारे देश में अधिक से अधिक लोग हिन्दी जानते और समझते हैं । हमारे भाई जो इस बिल को-लाये हैं वे भी हिन्दी को अच्छी तरह से समझते और जानते हैं । लेकिन जानबूझ कर किसी चीज की अनदेखी करके अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हैं इससे भारत की जनता का कोई हित नहीं होगा। यह किसी भी प्रकार से बुद्धिमता की बात नहीं होगी। अच्छा तो यही होगा कि अगर आप अपनी भाषा तमिल, तेलगु, कन्नड़ आदि सब भाषाओं के विकास की बात करें तो वह देश के हित में होगा । हम यहां पर जिम्मेदार लोग हैं इसलिए हमें जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए । यह कहना कि अंग्रेजी को तब तक बनाये रखा जाये जब तक पूरा देश हिन्दी को ना मान ले या राज्य सभा तीन चौथाई बहुमत से कोई प्रस्ताव न पास कर कर दें, तब तक अंग्रेजी बनाये रखी जाय, इस प्रकार के संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। यह देश के हित में संविधान का संशोधन नहीं है। देश को एक सूत्र में बांधता है, देश का मजबूत बनाना है तो राष्ट्रभाषा हिन्दी को उसका स्थान मिलना चाहिए । हमारे देश में महात्मा गांधी ने कहा था और अन्य बड़े-बड़े नेताओं ने कहा था कि देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हिन्दी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है और वही इस देश को एक सूत्र में बांध सकती है। हम अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी को इस देश में हर काम के लिए बनाये रखना उचित नहीं है, इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा ।

हम यह भी जानते हैं कि हमारे तमिलनाडु के और दक्षिण भारत के लोग जो आई ए एस० बन कर निकलते हैं वे बहुत अच्छी हिन्दी जानते हैं । जब वे

कलेक्टर बन जाते हैं और गांव का आदमी उनसे बात करता है तो शुद्ध हिन्दी में बोलते हैं। गांव के आदमी की भाषा उतनी शुद्ध नहीं होती है, लेकिन हमारे दक्षिण के भाइयों की हिन्दी बहुत शुद्ध होती है। जब वे एक विदेशी भाषा को पढ़ सकते हैं तो हिन्दी को पढ़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती है। कोई भाषा विचारों के आदान-प्रदान के लिए होती है। मैं अपनी बात आपको समझा सकूं और आप अपनी बात मुझे समझा सकें, यही भाषा का उद्देश्य है। इसलिए भाषा को विवाद का विषय बनाना लोगों के साथ विश्वास-घात होगा। हम लोग यहां संसद में हैं। अगर हम अंग्रेजी को इस देश की भाषा बनाये रखना चाहते हैं तो यह देश की 99 प्रतिशत जनता के साथ विश्वास-घात होगा। मैं एक कमेटी में तमिलनाडु गया था। वहां पर गांव में हमारे कुछ भाई अंग्रेजी में बोलने लगे तो मैंने कहा कि क्या ये लोग अंग्रेजी समझते हैं? वे लोग अंग्रेजी नहीं समझते थे। अंग्रेजी में बोलकर तमिल में उनको समझाने की व्यवस्था होती तो अच्छा था क्योंकि वे लोग अंग्रेजी नहीं जानते। हमारे देश में कोई भी गांवों में अंग्रेजी नहीं समझता है। अंग्रेजी में जनता से बोलना उनके साथ विश्वासघात है।

3 P. M.

वहां की जनता हमारे विचारों से अवगत नहीं हो पाती है। इसलिये यह जरूरी है कि वहां की जनता जो भाषा जानती है, उसी भाषा का हमें उपयोग करना चाहिए। यह देश के हित में होगा और इससे गरीब जनता का भी कल्याण होगा। वे हमारी बातें स्पष्ट रूप से समझ सकें कि क्या हम कह रहे हैं और क्या हम नहीं कह रहे हैं। तो आज यह आवश्यक होगा कि अंग्रेजी को जल्दी से जल्दी, जिसे हम हर जगह बोलते हैं, और जैसा कि अभी हमारे भाई हुकमदेव नारायण यादव ने कहा कि हर जगह अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यही कारण है आज हम यहां पर भ्रष्टाचार की बात किया करते हैं क्योंकि आफिसरों के पास गरीब आदमी को जाने की हिम्मत नही पड़ती है। वह सोचता है कि पता नहीं कि मेरा बोला वह समझ पाये या नहीं। एक गांव के आदमी का मनोबल तब बढ़ता है जब वह अपने समकक्ष के आदमी के साथ बात करता है और वह उसकी बात को समझता है, जब वह यह समझता है कि वह मेरी बात को समझेगा और मैं उसकी बात को समझूंगा। वास्तव में अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि हमारे भाई मुरासोली साहब जो संविधान के संशोधन का विधेयक लाये हैं उस पर बहुत गंभीरता से विचार करें और इस देश के हित में इस पर विचार कर वे अपना यह बिल वापस लें। देश के हित में जो भी संविधान संशोधन वे लायेंगे हम लोग उसका तहेदिल से स्वागत करेंगे। मुझे आशा है कि वे अपने इस बिल को वापस लेंगे और अपने प्रांत या देश के लिये ऐसा बिल लायेंगे जिसमें गांव के एक-एक व्यक्ति का हित हो। इन शब्दों के साथ मैं आपको फिर धन्यवाद दे रहा हूं, घंटी बजने के पहले, क्योंकि आप काफी देर से इस मूड में हैं। घंटी के पहले मैं फिर बता देना चाहता हूं कि देश के सामने एक घंटी बज गई है, एक सूत्र में बंधने के लिये। अगर एक सूत्र में हम बंधेंगे तब हमारा देश जो है वह आगे बढ़ेगा, मजबूत बनेगा। हम तभी मजबूत बनेंगे जब कि देश भर के सारे व्यक्ति मजबूत बनेंगे क्योंकि किसी एक व्यक्ति से देश नहीं बनता है। देश तभी मजबूत होता है जब हम संगठित होते हैं। आज

हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी देश विदेश जाती हैं और हमारे देश के गौरव को बढ़ाती हैं । तो वे वहां पर जाकर जो बात करती हैं वह केवल अकेले उनके बस की बात नहीं है, उसमें हमारे देश के एक-एक व्यक्ति, देश के हर एक नागरिक का सहयोग होता है । नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि वह देखें कि हमारे देश का क्या संविधान है, हमारे क्या सिद्धांत हैं, हमारी क्या नैतिकता है और उस आधार पर चलकर हम लोगों को काम करना चाहिए, तभी हम लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं । जय-हिन्द ।।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : मान्यवर, थिरू मारन ने जो संविधान में संशोधन करने का बिल पेश किया है, उस पर सही रूप से विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि संविधान को और संविधान के उपबंध 243 के खंड (ग) में जो संसद को अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का प्रयोग कर संसद में जो राज-भाषा अधिनियम बनाया है, इनको हम समग्र रूप से लें देखें और इनमें जो निहित भाषा नीति है उसको पहचाने । हम समझते हैं कि यदि थिरु मारन ने ऐसा किया होता तो शायद वे इस बिल को लाने की जरूरत महसूस नहीं करते । जिस निहित भाषा नीति की बात अभी की गई उस भाषा नीति को हम 6-सूत्रों में बांध सकते हैं । इसका पहला सूत्र तो यह है कि शिक्षा और शासन के सभी स्तरों पर अंग्रेजी के माध्यम की जगह भारतीय भाषायें माध्यम हों । यह केवल संघ सरकार की बात नहीं है, यह पूरे देश की बात है जो एक बहुभाषी देश है और जहां की राज्य विधानसभाओं ने अपने यहां अपनी भाषाओं की राज-भाषा माना है तो इन तमाम भाषाओं द्वारा अंग्रेजी को शासन और शिक्षा के माध्यम की जगह से हटाकर इन भाषाओं को स्थगित करना है ।

दूसरा सूत्र जो है वह यह है कि राष्ट्रीय सहमति के आधार पर हिन्दी को राष्ट्र की सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित किया जायें, सहमति के आधार पर, राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ।

तीसरा सूत्र जो है वह यह है कि उर्दू भाषा को समुचित संरक्षण मिलना चाहिये । चौथा सूत्र जो है वह यह है कि कोई भाषा किसी पर लादी नहीं जाए न हिन्दी को किसी दूसरे भाषा-भाषी पर समुदायों पर लादा जाए और अंग्रेजी को । सिर्फ हिन्दी का सवाल नहीं है बल्कि तमाम भाषाओं का सवाल है । न हिन्दी को लादा जाए और न अंग्रेजी को लादा जाए । पांचवा सूत्र जो उससे निकलता है वह यह है कि राजभाषा अधिनियम का पूरे रूप से पालन किया जाए और छठा सूत्र जो निकलता है वह यह है कि भाषायी विद्वेश को तिलांजली दी जाए । एक भाषा दूसरी भाषा के प्रति एक भाषा-भाषी समुदाय दूसरे भाषा-भाषी समुदाय के प्रति विद्वेश की भावना न रखे यह देश के लिए घातक है । इसको तिलांजली देनी चाहिये और भाषायी मेल-मिलाप की भावना को अंगीकार किया जाए । हम समझते हैं कि जो भाषायी नीति हमारे संविधान में और राजभाषा अधिनियम में सन्निहित है उसको इन 6 सूत्रों में बांध सकते हैं । यदि 6 सूत्रों को हम ठीक-ठीक पहचानें तो हम समझते हैं कि भाषायी विवाद की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है । हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं जिनका सारांश यह है कि हिन्दी को लादा जा रहा है । हिन्दी लादने की बात का हौआ सा हमारे देश में खड़ा कर दिया गया है । इसलिए कि वास्त-

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

विकता कुछ दूसरी है । वास्तविकता यह है कि जब हम गुलाम थे तो हमारे ऊपर अंग्रेजी लादी गई । हम जब आजाद हुए हैं उसके बाद भी हमारे ऊपर अंग्रेजी लादी हुई है । हमारे देश की भाषायी वास्तविकता की यह सब से बड़ी कटुता और कठोरता है । अंग्रेजी सभी पर लादी हुई है, हिन्दी भाषा-भाषियों पर ही नहीं बल्कि यह लादी हुई है तमिल भाषियों पर, बंगला भाषियों पर । यह सभी पर लादी हुई है । देश का कोई ऐसा भाषा-भाषी नहीं है जिस पर अंग्रेजी नहीं लादी हुई हो । यह जब वास्तविकता है तो फिर हिन्दी लादने का हौवा खड़ा करना हम को समझ में नहीं आता है क्योंकि यह वास्तविकता नहीं है । इसके लिए जो भी उदाहरण दिये गये हैं उन उदाहरणों को हमने समझने की कोशिश की है । दरअसल में वे उदाहरण इस बात के हैं कि क्यों कोई चीज दोनों भाषाओं में की जाती है क्यों कोई नामपट सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में है? क्यों हिन्दी में हैं? इसलिए हिन्दी को लादा जा रहा है। वे यह भूल जाते हैं कि उसी के साथ-साथ अंग्रेजी भी उस नामपट पर लिखी रहती है । जितने भी उदाहरण हमारे सामने आए हैं सभी उदाहरण द्विभाषिकता के उदाहरण हैं ।

श्री डी० हीराबन्द (तमिलनाडु) : कई जगह पर नहीं है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : हमने अभी तक नहीं देखा और हम इस बात को पूरे अधिकार के साथ कहते हैं कि हम इस देश के करीब करीब तमाम हिस्सों को देखा है और वहां पर सैकड़ों कार्यालयों को देखा है । मगर कहीं भी हम को ऐसी बात अभी तक नहीं मिली है । सवाल है जब द्विभाषिकता के सिद्धान्त को हमरे मारन महोदय स्वीकार करते हैं । स्वीकार ही नहीं करते हैं बल्कि संविधान में भी शामिल करना चाहते हैं तो द्विभाषिकता का जो प्रयोग होता है उस पर आपत्ति क्यों? आपत्ति यह है कि क्यों बैंक का नाम सिर्फ हिन्दी में है ? सिर्फ हिन्दी में बैंक का नाम हमने कहीं भी नहीं लिखा देखा है बल्कि कुछ जगहों पर केवल अंग्रेजी में ही लिखा देखा है । होना चाहिए दोनों भाषाओं में और जब दोनों भाषाओं में नाम लिखा जाता है तो सिर्फ हिन्दी वाली बात पकड़ लेते हैं और अंग्रेजी वाली बात छोड़ देते हैं । उसी तरह से रेलों में रिजरवेशन चार्ट होता है वह दोनों भाषाओं में तैयार किया जाता है अंग्रेजी में भी और हिन्दी में भी । हिंदी वाला चार्ट कोई देख ले और इसके आधार पर यह कहे कि हिंदी लादी जा रही है और अंग्रेजी वाले चार्ट को भुला दे तो जाहिर बात है कि यह सही मूल्यांकन वर्तमान स्थिति का नहीं है बल्कि एक विशेष भावना से पीड़ित होकर चीजों को देखना है । जिस वास्तविकता के ऊपर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं और सदन का ध्यान खींचना चाहते हैं वह यह है कि अभी भी द्विभाषिता की उस नीति का, जिस नीति को पंडित नेहरू ने देश के सामने रखा और जिस नीति को पार्लियामेंट ने अपने राजभाषा अधिनियम के तीसरे उपबंध में संशोधित करके स्वीकार किया, उसका पालन नहीं हो रहा है इसके सिर्फ दो-चार उदाहरण देकर मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूं ।

'रोजगार समाचार' इम्प्लायमेंट की सूचना देने के लिए एक अखबार निकलता है । इस साल के 18 सितम्बर के 'रोजगार समाचार' अंक को देखें, उस अंक में विज्ञापन छपा है जो स्टेट बैंक के ग्रुप के सेंट्रल रिक्रुटमेंट बोर्ड ने दिया है,

उस विज्ञापन में यह है कि पांच सौ प्रोवेशनर अधिकारियों की नियुक्ति होगी, उसके लिए आवेदन पत्र दिया जाय । लेकिन इन पदों पर जो नियुक्ति होगी उसकी जो परीक्षा ली जायेगी वह केवल अंग्रेजी के माध्यम से ली जायेगी । यह 18 सितम्बर के अंक में विज्ञापन निकला है । मैं जानना चाहता हूं कि यह हिंदी लादना है या अंग्रेजी लादना है ? क्या यह अंग्रेजी लादना नहीं है जबकि हम इस बात को सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं कि द्विभाषिता होनी चाहिए, द्विभाषिता चलनी चाहिए ?

उसी तरह से मान्यवर, लोक सेवा संघ की प्रतियोगिता परीक्षा को देखें । बहुत दिनों के बाद, दो तीन साल हुए हैं लोक सेवा आयोग ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि भारत की दूसरी भाषाओं में भी उत्तर देने का विकल्प दिया जाय । एक अच्छा कदम हुआ । लेकिन इस अच्छे कदम के बावजूद अभी भी लोक सेवा आयोग की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में एक जो अनिवार्य भाषा का प्रश्न पत्र है वह अंग्रेजी भाषा का है । केवल अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र होता है। मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के मुताबिक लोक सेवा आयोग की प्रतियोगात्मक परीक्षा में भाषा का एक मात्र प्रश्न पत्र अंग्रेजी में हो । जब हम द्विभाषिता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो या तो दोनों भाषाओं में हो या किसी भी भाषा में न हो, या इस बात का आल्टरनेटिव होना चाहिए, इस बात का विकल्प होना चाहिए कि अंग्रेजी का . .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Mr. Sharma, in the UPSC, though the papers are set in only two languages, the candidate is given the option to answer in any language that is listed in the Eighth Schedule.

श्री योगेन्द्र शर्मा : वह ठीक है, वह बात मैं कह चुका हूं । इसके अलावा भी एक अनिवार्य भाषा का प्रश्न पत्र होता है । भाषा का अनिवार्य प्रश्न सिर्फ अंग्रेजी भाषा का होता है । मेरी आपत्ति इसी बात पर है । क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य प्रश्न पत्र नहीं होना चाहिए । या तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों का हो या दोनों में से किसी एक का विकल्प होना चाहिए या दोनों में से किसी का नहीं होना चाहिए । क्योंकि जिन संकल्प को पार्लियामेंट ने पारित किया था, उस संकल्प में यह साफ साफ कहा गया है कि "उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्त्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा"

दोनों में से किसी एक, लेकिन आपने अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है, यह क्या इस संकल्प का खंडन नहीं है ? अभी-अभी जिस रोजगार-समाचार में प्रकाशित विज्ञापन की ओर आपका ध्यान खींचा है, क्या वह इस संकल्प का खंडन नहीं है ? तो द्विभाषिकता के सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद हम द्विभाषिकता के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं । सिर्फ एक-भाषिकता के सिद्धांत पर चल रहे हैं—अंग्रेजी-भाषिकता के सिद्धांत पर चल रहे हैं । हमारी शिकायत यह है ।

इतना ही नहीं, मान्यवर, हमारे देश में सात हिंदी भाषा-भाषी राज्य हैं,

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

इन तमाम हिंदी भाषा-भाषी राज्यों की समस्या यह है कि वे जब कोई भी पत्र या कोई डाकुमेंट केन्द्रीय सरकार के पास भेजते हैं, तो बहुत दिनों तक उसका जवाब ही नहीं जाता है, बहुत दिनों तक उस पर कार्यवाही ही नहीं होती है । अब इस समस्या से निपटने के लिए कुछ महीने हुए कि तमाम हिंदी-भाषी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने एक बैठक की कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए । लाचार होकर के उन्होंने कहा कि हमें तो काम लेना है, और हिंदी में भेजेंगे, तो जल्दी काम नहीं होगा, इसलिए हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी भेजें ।

हिंदी भाषी राज्यों के तमाम मुख्य मंत्रियों को आप विवश कर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय उनको विवश कर रहे हैं कि तुम अंग्रेजी में पत्राचार करो, और इसके बाद हिंदी लादने का हौवा खड़ा किया जा रहा है । जब कि वास्तविकता यह है कि आप अंग्रेजी लादे हुए हैं । उन लोगों पर भी लादते हैं जिन्होंने अपनी राजभाषा हिंदी घोषित की है, जबकि राजभाषा नियम के मुताबिक उनके साथ आप को हिंदी में पत्राचार करना चाहिए । आप हिंदी राजभाषा का उल्लंघन करके उनके ऊपर अंग्रेजी थोप रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि हिंदी लादने का हौवा खड़ा किया जा रहा है ।

इतना ही नहीं, महोदय, हिंदी लादने का एक और भी उदाहरण हम पेश करते हैं । कुछ दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा—एक मुख्य मंत्री ने—मैं नाम नहीं लूंगा, यह शिकायत की कि वे जब दिल्ली गये, तो उनको अंग्रेजी में टेलीफोन की डाइरेक्ट्री नहीं दी गई । उनको हिंदी में टेलीफोन की डाइरेक्ट्री दी गई । यह हिंदी लादना है । आश्चर्यजनक बात है ।

मान्यवर, तमाम संसद सदस्यों को टेलीफोन डाइरेक्ट्री दी जाती है, हम लोगों को भी दी जाती है कम्पलिमेंटरी कापी, पहले अंग्रेजी में डाइरेक्ट्री दी जाती है और छह महीने या साल भर के बाद हिंदी में जब डाइरेक्ट्री छपती है, तो हमको मिलती है । तब तक हम अंग्रेजी डाइरेक्ट्री के अभ्यस्त हो जाते हैं । पता नहीं कौन ऐसा मुख्य मंत्री था जिसको सिर्फ हिंदी में ही डाइरेक्ट्री मिली । कम से कम आठ सौ संसद सदस्यों के अनुभव के यह विपरीत है । उनका अनुभव यह है कि पहले उनको अंग्रेजी में डाइरेक्ट्री मिलती है और छह महीने या साल भर के बाद हिंदी में डाइरेक्ट्री मिलती है । लेकिन हिंदी लादने का हौवा खड़ा किया जाता है । इस तरह की बातें करके जोकि न केवल बेतुकी हैं, बल्कि बेबुनियाद बातें हैं और यह एक मुख्य मंत्री कहता है, अखबार में छपता है और अखबार में छाप करके एक वातावरण पैदा किया जाता है, हिंदी लादने का हौवा खड़ा किया जाता है ।

मान्यवर, हम भाषा को साध्य नहीं मानते हैं, साधन मानते हैं । किस बात का साधन मानते हैं ? हमारे विचार से जो भी राजभाषा हम स्वीकार करें, उसके तीन उद्देश्य होने चाहिएं, वह तीन उद्देश्यों का साधन करने वाली भाषा होनी चाहिए और वह तीन उद्देश्य या कहें तो चार उद्देश्य यह हैं—पहला, वह राष्ट्रीय एकता का साधन हो, दूसरा उसके द्वारा जनतंत्र का साधन, तीसरा, उसके द्वारा भारत की बहुभाषी जनता के सांस्कृतिक विकास का साधन और चौथा, हमारे देश में जो बहु-संख्यक

पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके पिछड़ेपन को दूर करने में वह विशेष सहायता का साधन हो । यह चार उद्देश्य हमारी भाषा नीति के हैं, जहां तक हमने समझा है । यदि ये हैं तो क्यों हम शासन और जनता के बीच भाषा की दीवार खड़ी कर रहे है ? वास्तविकता यह है कि शासन और जनता के बीच भाषा की दीवार है । शासन अंग्रेजी में बोलता है, जनता भारतीय भाषाओं में बोलती है और उन के बीच में अंग्रेजी की दीवार खड़ी हो जाती है । जब तक यह अंग्रेजी की दीवार शासन और जनता के बीच में रहेगी तब तक सही माने में जनतन्त्र नहीं हो सकता । सही माने में जनतन्त्र का अर्थ यह है कि जिस भाषा में जनता बोले उस भाषा में शासन बोले, जिस भाषा में शासन बोले उस भाषा में जनता बोले—जनता और शासन के बीच भाषा की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए । जब तक यह अवस्था पैदा नहीं होती है तब तक हम सच्ची जनतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते ।

इसी तरह से, मान्यवर, हमारा देश जो बहुभाषी है, तमाम राज्य अपने अपने यहां शासन और शिक्षा में अपनी भाषा को माध्यम बनाएं, जब यह अवस्था आ जाय तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा होनी चाहिए जिस को हम सम्पर्क भाषा कहें, लिंक भाषा कहें, जो भी नाम दें, एक भाषा तो होनी चाहिए जिस के जरिए विभिन्न भाषा-भाषी समुदायों को, भारत की 70 करोड़ जनता को एक सूत्र में बांधा जाय। वह भाषा कौन सी हो सकती है । कुछ लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी होनी चाहिए । क्या अंग्रेजी हो सकती है ? दो सौ वर्षों के परिश्रम के बाद इस देश में दो फीसदी जनता अंग्रेजी जान सकी है । तो दो फीसदी लोगों के कमजोर सूत्र से भारत की एकता की रक्षा बहुत दिनों तक नहीं की जा सकती । इस सम्पर्क सूत्र को मजबूत करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि कम से कम 30 फीसदी, 40 फीसदी जनता का सम्पर्क सूत्र हो । इस लिए यह बहुत आवश्यक है कि सम्पर्क सूत्र के लिए न केवल अंग्रेजी को बल्कि हिन्दी को भी वरीय स्थान नहीं तो समकक्ष स्थान अवश्य मिलना चाहिए । केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अधिकतर काम अंग्रेजी में हो रहा है राजभाषा अधिनियम की अवहेलना कर के । तो राष्ट्रीय एकता इस तरह हम कायम नहीं कर सकते । साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता के लिए भी आवश्यक है कि जब तक दूसरे भाषा-भाषी समुदाय अपनी इच्छा से हिन्दी को एक मात्र सम्पर्क भाषा स्वीकार न करें तब तक अंग्रेजी भी चले । पंडित-नेहरु का यही आश्वासन था । पंडित नेहरु का यह आश्वासन नहीं था कि अंग्रेजी ही एकमात्र सम्पर्क भाषा रहे। पंडित नेहरु का आश्वासन था कि हिन्दी के अलावा एसोसिएट लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी तब तक चले जब तक तमाम राज्य केवल हिन्दी को ही एकमात्र राजभाषा स्वीकार नहीं करते । मैं नहीं समझता इस से अधिक कोई उदार नीति हो सकती है । इसी नीति के अनुसार—तमिलनाडु तो बहुत बड़ा राज्य है, तमिल बहुत समृद्ध भाषा है, बहुत प्राचीन है, हम सबों को उस पर गर्व है—एक छोटे से राज्य नागालैंड ने भी कहा कि वह अंग्रेजी को जारी रखना चाहते हैं तो अंग्रेजी जारी रखी जायगी उस के बाद भी रोना है कि हिन्दी लादी जा रही है, हिन्दी लादी जा रही है—यह तकिया-कलाम हो गया है, हमारे मंत्री लोग जा कर भाषण दे आते हैं। लेकिन इस बात को भूलते हैं कि वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी लादी हुई है और

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

अंग्रेजी और भी लादी जा रही है । नेहरु जी का आश्वासन हम मानते हैं, देश की एकता के लिए उस आश्वासन पर अमल करना आवश्यक है । हमारी शिकायत है कि उस आश्वासन पर केन्द्रीय सरकार के अधिकतर मंत्रालय अमल नही करते, उस का खंडन करते हैं । यदि अधिकतर अमल करें तो यह स्थिति क्यों आवे जिस का मैंने उल्लेख किया है, क्यों लोक सेवा संघ की प्रतियोगिता परीक्षा में केवल अंग्रेजी ही अनिवार्य प्रश्नपत्र हो, क्यों रोजगार समाचार में प्रकाशित बैंक के विज्ञापन में, जिस का मैंने हवाला दिया क्यों अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा ली जाय । यह द्विभाषिकता का पं० नेहरु के आश्वासन का खंडन और उल्लंघन है, हिन्दी के पक्ष में नहीं, अंग्रेजी के पक्ष में है । खंडन हिन्दी के विरोध में है । वास्तविकता यह है । तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुरासोली मारन महोदय का जो बिल है वह असंगत सा है । निराधार आशंका के आधार पर है । क्षेत्रीय संकीर्णता के आधार पर है और मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट में अविश्वास के आधार पर भी है । क्योंकि वे चाहते हैं कि पार्लियामेंट ने जो अधिनियम पारित किया है उस अधिनियम को पार्लियामेंट कभी भी बदल सकती है और कभी भी पार्लियामेंट पास कर सकती है कि नहीं साहब, अब हिन्दी ही एक मात्र इस देश की भाषा रहे । पार्लियामेंट कर सकती है । पार्लियामेंट को तो हमारे देश में प्रभुसत्ता प्राप्त है । वह संविधान में भी संशोधन कर सकती है । लेकिन हम पूछना चाहते हैं मुरासोली मारन महोदय से कि देश को प्रभुसत्ता प्राप्त पार्लियामेंट में उन को अविश्वास क्यों हैं ? क्यों उन को विश्वास है कि पार्लियामेंट कभी भी ऐसा कदम उठायेगी कि जिस से देश की एकता नष्ट हो जाय । हमें पार्लियामेंट पर यह विश्वास कर के चलना चाहिए कि वह कभी भी ऐसा कदम नहीं उठायेगी कि जिस से देश की एकता नष्ट हो । वह हमेशा ऐसा कदम उठायेगी कि जिस में देश की एकता मजबूत हो । भारत की 70 करोड़ जनता जिस पार्लियामेंट का चयन करती है उस 70 करोड़ जनता की बुद्धि और विवेक पर हमें भरोसा होना चाहिए कि वह ऐसी पार्लियामेंट का चुनाव नहीं कर सकती है जो कि ऐसा कदम उठाये कि जिस से देश की एकता नष्ट हो तो हमें पार्लियामेंट पर विश्वास होना चाहिए । पार्लियामेंट पर विश्वास होने का मतलब है कि भारत की जनता पर विश्वास होना चाहिए कि वह देश की एकता की रक्षा करेगी, वह देश की एकता की रक्षा करने वाली पार्लियामेंट का निर्माण करेगी । जनता की बुद्धि और विवेक पर अविश्वास और पार्लियामेंट में अविश्वास के आधार पर यह बिल पेश किया गया है । इस लिये निश्चय ही यह बिल स्वीकार करने लायक नहीं हो सकता है । निश्चय ही यह बिल अमान्य है ।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): On a point of clarification. I want to know from my hon. friend, Mr. Sharma— because he has stated about English imposition in this country—whether the views expresesd by Mr. Sharma are his personal views or they are the views of the Communist Party of India.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, मैंने जो बात भी कही है वह न केवल मेरा व्यक्तिगत विचार है बल्कि मैं अधिकार के साथ कह रहा हूं कि वह मेरी पार्टी का विचार है । अभी अभी वाराणसी में हमारी पार्टी का महा-अधिवेशन हुआ था । उस में जो हमने कार्यक्रम बनाया

है उस कार्यक्रम में हम ने कहा है कि राज भाषा अधिनियम का अच्छी तरह से पालन होना चाहिए ।

मान्यवर, राज भाषा विभाग और केन्द्रीय हिन्दी समिति पर भी बौछार की गयी है । क्यों बौछार की गयी है ? राज भाषा विभाग का क्या अपराध है ? राज भाषा विभाग का यह अपराध है कि वे कुछ हल्के-हल्के भले ही धीरे-धीरे कदम उठा रहे हैं ताकि जो द्विभाषिकता की नीति है उस का पालन किया जा सके । द्विभाषिकता की नीति का पालन हो यह उन का अपराध है । उस का पालन हो इस के लिये वह कदम उठा रहे हैं तो वह आलोचना के पात्र हैं । तो हम को मुश्किल होती है कि आलोचना इस लिये नहीं हो रही है कि द्विभाषिकता की नीति का पालन नहीं हो रहा है, बल्कि आलोचना इस लिये हो रही है कि सिर्फ अंग्रेजी ही क्यों नहीं चलायी जाती है । सिर्फ अंग्रेजी ही क्यों नहीं चलायी जाती है। वरना क्यों राज भाषा विभाग की आलोचना होती है । राज भाषा विभाग की आलोचना तो दूसरी तरफ से होनी चाहिए कि द्विभाषिकता की नीति को ठीक ठीक चलाने के लिये जितने कदम और जितने मजबूत कदम उठाने की जरूरत है वह राज भाषा विभाग नहीं उठा रहा है ।

श्रीमन्, केन्द्रीय हिन्दी समिति की बात है । केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन हुआ था एक साल पहले । गठन के बाद उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई । सिर्फ गठन किया गया है, लेकिन कोई बैठक नहीं हुई । अखबारों में आ गया। लेकिन गोपाल जी और दूसरे जी, पता नहीं क्या उनको डर हो गया कि हिन्दी समिति क्या करेगी। केन्द्रीय हिन्दी समिति का यह काम है कि तमाम मंत्रालय, तमाम विभाग द्विभाषिक नीति का पालन करें, उसको वह देखे । उनका सिर्फ यह दायित्व है कि जो राजभाषा अधिनियम बनाया गया है और जिस राजभाषा अधिनियम को संविधान में शामिल करना चाहते हैं, उसका पालन हो ।

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Sharma, the Committee should be abolished altogether.

SHRI YOGENDRA SHARMA: That is your personal view because you only want English to be continued.

नीति को संविधान में आप शामिल करना चाहते हैं तब तो आपकी यह मांग होनी चाहिए कि केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक नियमित रूप से हो । वह केन्द्रीय हिन्दी समिति देखे कि विभिन्न मंत्रालयों में द्विभाषिकता की नीति पर अमल किया जा रहा है, राजभाषा अधिनियम का पालन हो रहा है या नहीं । नहीं हो रहा है, इसके हमने कई उदाहरण दिये हैं, समय होता और भी इस तरह के उदाहरण देते । तो आलोचना यह नहीं होनी चाहिए कि केन्द्रीय हिन्दी समिति बन गई है आलोचना यह होनी चाहिए कि केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक उसके बन जाने के बाद क्यों नहीं हो रही है, वह काम क्यों नहीं कर रही है?

मान्यवर, शिकायत की गई कि हिन्दी के प्रचार के लिए बहुत खर्च किया जा रहा । है कितना खर्च किया जा रहा है, हमारे गृह मंत्री महोदय बैठे हुए है, वह बतलायेंगे, हमारा बतलाने का काम नहीं है । मगर हम यह जानते है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से न केवल हिन्दी

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

बल्कि भारत की तमाम भाषाओं के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है । मगर इसके अलावा दूसरी वास्तविकता क्या है । हिन्दी के प्रचार के लिए, विकास के लिए तो हिन्दी भाषा राज्य या केन्द्रीय सरकार जो भी सहायता दे, इससे उनको गुजर करनी हैं । मगर अंग्रेजी के प्रचार और प्रसार के लिए क्या किया जा रहा है ? अंग्रेजी का प्रचार और विकास करने के लिए इगलैंड और अमरीका जैसे दुनिया के धनी देशों की अपार धन राशि हमारे देश में आ रही है। अंग्रेजी के प्रचार और प्रचार के लिए जो धन आ रहा है ऊसके मुकाबले मे हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए जो भी धन राशि खर्च की जाती है वह उसका दसवां अंश भी नहीं है । वास्तविकता यह है लेकिन इल्जाम लगाया जाता है कि हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत धनराशि खच की जाती है । कोई यह नहीं कहता क्यों इंग्लैंड और अमरीका से करोड़ों करोड़ रुपये अंग्रेजी के प्रचार के लिए आ रहे हैं ? क्यों आ रहे है, इसलिए कि यह चाहते है कि भारत पर सांस्कृतिक दबाव उनका बना रहे वे चाहते हैं कि भारत में उनकी संस्कृति के प्रभाव से उनके दुसरे स्वार्थों की सिद्धि हो सके । इसलिए वे करोड़ों करोड़ रुपये भारत में अंग्रेजी के प्रचार के लिए लिए खर्च कर रहे है । मगर यहां रोना यह रोया जाता है कि हिन्दी के लिए खर्च किया जा रहा है । होना यह चाहिए था कि अंग्रेजी के लिए जो खर्च इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अपार धनराशि आ रही है, इसको रोका जाता । लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । इस तरह से हमारे सांस्कृतिक विकास मे बाधा पैदा की जा रही है । (समय की घंटी)

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । लेकिन अन्त में एक बात और भी साफ कर देना चाहता हूं मैंने जो कुछ भी कहा उसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि मैं अंग्रेजी का विरोधी हूं। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं और मैं यह कहता हूं कि जो दूसरी भाषा से प्रेम नहीं करता वह अपनी भाषा से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता है । अंग्रेजी भाषा का भी हमारे देश में स्थान है, कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए स्थान है, कुछ विशेष वर्गों व व्यक्तियों के लिए स्थान है, वह सबों के लिए अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। तो उसकी विशिष्टता के प्रयोजन को हम मानते है लेकिन उस के प्रयोजन को सर्वजनीयता के रूप में नहीं बदलना चाहिए।

हमारी शिकायत यह है कि उसको सर्वजनीनता का रूप दिया जा रहा है । हर काम के लिये अंग्रेजी, बैंकों की भर्ती के लिये अंग्रेजी, दफ्तर में भर्ती के लिये अंग्रेजी । यह है हमारा हिन्दुस्तान, हम को समझना चाहिये कि अब हम द्विभाषित नीति को मानते हैं तब संघ लोक सेवाओं में नियुक्ति केवल अंग्रेजी के साथ नहीं होनी चाहिए, क्यों फिर अंग्रेजी के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही है क्यों नहीं हिन्दी के माध्यम से भी नियुक्ति की जाती है ? हिन्दी माध्यम से भी नियुक्ति की परीक्षाएं क्यों नहीं ली जाती हैं ? हिन्दी माध्यम से क्यों नहीं प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है ? यह हमारी शिकायत है। हम अंग्रेजी का बहिष्कार नहीं करना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ हम अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं पर हावी भी होने देना नहीं चाहते । हम भारतीय भाषाओं का विकास चाहते हैं। हम भारतीय भाषाओं को उचित स्थान दिलाना चाहते हैं जिसका उल्लेख पहले मैं कर चुका हूं । मान्यवर, जो लोग द्विभाषिकता के नाम पर एक भाषिता की असल बात करते हैं उनको सोचना चाहिये कि उसका क्या नतीजा हो सकता है ।

उसका नतीजा यह होगा कि फिर हम ब्रिटिश औपनिवेशिकता के शासन के दिनों में चले जायेंगे । कोई भी भारतीय ब्रिटिश औपनिवेशिकता के काल में जाना नहीं चाहता । अगर नहीं जाना चाहता तो हिन्दी लादने का हौवा खड़ा करके क्यों अंग्रेजी को देश की 60–70 करोड़ जनता पर लादा जा रहा है ?

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि करीब 80 देश आजाद हुए हैं। ये तमाम देश अपने औपनिवेशिक शासकों की भाषा के मातहत जड़ हो रहे थे। जब ये आजाद हुए तो ये तमाम देश अपनी-अपनी भाषा को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई भी माननीय सदस्य बता सकता है कि कोई भी देश ऐसा है जो कि अपने औपनिवेशिक शासन को लादी गई भाषा को हटा कर अपनी भाषा को विकसित करने की कोशिश नहीं कर रहा है ? यह कोशिश हो रही है, लम्बी कोशिश हो रही है। एक दिन में होने वाली नहीं है । समय लगेगा । वह कोशिश कर रहे हैं, विश्वव्यापी कोशिश हो रही है । तमाम नवोदित देश अपनी–अपनी भाषा को स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रयत्न में लगे हुए हैं और हमारा भी यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम अपने देश की तमाम भाषाओं को विकसित करें और तमाम भाषाओं के बीच में सम्पर्क कायम करने के रूप में हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय सहमति के रूप में स्वीकार करें।

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, अजीब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं । मैं नहीं समझ पाया कि हमारे मारन साहब हिन्दी को कहते है कि वह साथ साथ अंग्रेजी के चलती है । मैं समझता हूं इसमें किसी का विरोध है नहीं । आप अंग्रेजी चलाते रहिये, पीठ पर लादे घूमते रहिये । अपनी भाषाओं को मारते रहिये , अपने बच्चों को मारते रहिये, अपने विचार को कैद करके गड्ढे में डालते रहिये । हम इसमें कोई साझा नहीं करना चाहते । लेकिन हमारे ऊपर यह बोझ क्यों लादना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता । हिन्दी नहीं लादते हम आप पर लेकिन आप हमारे ऊपर अंग्रेजी क्यों लाद रहे हैं । जरा गौर करिये । इसमें यह प्रावधान करना चाहते हैं कि किसी भी राज्य में अंग्रेजी तब तक चलती रहेगी जब तक 3/4 बहुमत से वह विधान सभा पास नहीं कर देती कि हमारे यहां हिन्दी चलेगी । हमारे शर्मा जी ने ठीक ही कहा कि अगर केवल नागालैंड कह दे कि जैसा कि वह कह भी देगा कि अंग्रेजी अनन्तकाल तक चलेगी, यह हमारी मातृभाषा है . . । इस तरह से कभी भी हिन्दुस्तान से अंग्रेजी नहीं जाएगी। मैं नहीं समझता कि हम लोगों ने हिन्दी को क्या समझ रखा है। हमारी शिकायत यह है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं है और सह-भाषा भी नहीं है । कहने के लिए हिन्दी राष्ट्रभाषा है। यह कहा जाता है कि हम हिन्दी ला रहे हैं, हिन्दी थोप रहे है। पता नहीं कितना खर्च अंग्रेजी पर हो रहा है। असलियत यह है कि जितना भी भारत सरकार का बजट है वह हिन्दी पर खर्च न होकर अंग्रेजी के प्रचार प्रसार पर खर्च होता है। सारे देश में ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि बिना अंग्रेजी के काम ही नहीं चल सकता है । हिन्दी कहां पर राष्ट्र भाषा है । अंग्रेजी ही सब जगह है । भोजपुरी में एक गीत है ।

"साग नीक तोरी के गीत नीक होरी के,
नारी नीक चोरी के ।"

आम लोग अंग्रेजी से नजर ले रहे हैं . .:

[श्री रामनरेश कुशवाहा]

(व्यवधान) हिन्दी वाले इसका अर्थ समझ गये हैं। इसका अर्थ यह है कि सरसों का साग अच्छा होता है और होली के गीत बढ़िया होते हैं और चोरी की स्त्री अच्छी लगती है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि रखैल को लेकर बाबू जी कब तक घूमते रहेंगे। इनकी सती साधवी औरत, धर्म–पत्नी, धोती और साड़ी पहन कर धर्म-कार्य करती है इनके बच्चों का पालन-पोषण करती है ... (व्यवधान) ....

SHRI V. GOPALSAMY: Madam Vice-Chairman, I strongly condemn this sort of speaking. We cannot compare a language to a- call-girl. It. is utter shamie.

उपसभाध्यक्ष डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : आप जरा अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिये। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे।

श्री राम नरेश कुशवाहा : मैं ऐसे शब्द नहीं बोल रहा हूं।

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu): Madam Vice-Chairman, English is the Official language.

SHRI V. GOPALSAMY: Anglo-Indians aie ;ilSo the citizens of this country. The mother-tongue of Anglo-Indians is English. Therefore, we should not hurt their feelings also.

THE VICE-CHAIRMAN DR. (SHRI-MATI NAJMA HEPTULLA): I think, he did not mean it. He was just givine;. .

SHRI YOGENDRA SHARMA: This is only a literary expression.

SHRI V. GOPALSAMY: It is an at>-surd expression.

SHRI YOGENDRA SHARMA: This is only a literary expression. George Bernard Shaw has produced 'My Fair Lady'. Tn that, what he has said and what he has. not said, you know it.

SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA: Mr. Murasoli Maran is also a literary man. He knows what I am saying.

मेरे कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजी रखैल है, वह इस देश की रानी नहीं बन सकती है। लेकिन अंग्रेजी के रूप, रंग और नखरों पर हमारे भाई लट्टू हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि रखैल आपके बच्चों का पालन– पोषण नहीं कर सकती है, घर की व्यवस्था नहीं कर सकती है और कोई भी रखैल किसी घर को नहीं बना सकती है।

SHRI' V. GOPALSAMY: He should withdraw these words. One Member is making such a statement and many others are relishing it. . I really feel very sorry.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA (Andhra Pradesh): At least, I relish it.

श्री राम नरेश कुशवाहा : श्रीमन्, अंग्रेजी की अन्तर्राष्ट्रीयता की बात कही जाती है। मैं कहना चाहताहूं कि अंग्रेजी तो पूरे इंगलैण्ड में भी नहीं बोली जाती है। स्काटलैण्ड में स्काटिश बोली जाती है, आयरलैण्ड में आइरिश बोली जाती है और सिर्फ वैल्स में अंग्रेजी भाषा है और वह भी लिट्रेरी भाषा है, साहित्यिक भाषा है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई इसको गलत कह दे। सारे यूरोप में अंग्रेजी से ज्यादा फ्रैंच बोली जाती है। जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है और इसी तरह से अपने अपने देश में अपनी भाषा बोली जाती है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वे लोग अंग्रेजी की इतनी हिमाकत क्यों कर रहे हैं दुनिया की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं?

सारा ज्ञान विज्ञान पता नहीं कहां का आपने दिमाग में भरा पड़ा है । मोदी साहब कह रहे थे कि हिन्दी दरिद्र भाषा है । इसमें कुछ है ही नहीं । मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं ।

रामचरित मानस में है कि :

सो उपमा किमि कहु बखानि,

गिरा अनयन नयन बिन बानी ।

इनकी समता का विश्व साहित्य में एक भी उदाहरण आप नहीं देख सकते । छोड़िये हिन्दी को । हिन्दी का तो उच्च साहित्य है, एक उसकी सहायक भाषा है भोजपुरी । इसकी कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा हूं :—

मारु मारू मौना कतेक मरिया मरबे

बहियां न रोकब तुम्हार,

सूते की बिरिया कब अंगूठा दिखावें

गुड़वाले परवे हमार वे ।

पुरुषों की स्त्रियेष्णा का इससे अधिक यथार्थवादी चित्रण क्या आपको कहीं मिलेगा, बतलाइये। हिन्दी में अभिव्यक्ति इतनी अधिक है कि जिसका कोई उदाहरण नहीं है। भाषा केवल भाषा होती है, वह एक माध्यम है, भाषा ज्ञान नहीं है। मझे आश्चर्य हुआ मोदी साहब के भाषण को सुनकर । मैं समझता था कि मोदी साहब बहुत विद्वान हैं।

उद्योग मंत्रालय म और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : जनता पार्टी के हैं।

श्री रामनरेश कुशवाहा : लेकिन मझे उस दिन ऐसा लगा कि वह अंग्रेजी बोल सकते हैं चाहे जितनी बढ़िया, मजाक चाहे जितना बढ़िया कर सकते हैं लेकिन उनका क्या ज्ञान है यह मैं नहीं जानता हूं । उन्होंने कह दिया कि हिन्दी में कुछ है ही नहीं । दुनिया का सारा का सारा ज्ञान अंग्रेजी में है । अगर सारा का सारा ज्ञान अंग्रेजी में है तो वेद में क्या है? पुराण, वेद, उपनिषद् और गौतम बुद्ध क्या अंग्रेजी में पढ़े हुए थे ? उन्होंने इनको पढ़ा है या नहीं । अब मैं क्या कहूं । इस अपने वरिष्ठ साथी को, जो केवल वरिष्ठ ही नहीं बल्कि जिनको हम नेता भी मानते हैं, वह विपक्ष के माने जाने नेता हैं, उनके दिमाग में यह बात कहां से आ गई है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

लखनऊ हम पर फिदा है हम फिदाये लखनऊ ।

अंग्रेज हमारे साहित्य को पढ़कर, हमारे वेदों को पढ़कर दूसरे विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं । आधुनिक विषयों की बात मैं नहीं कहता लेकिन प्राचीन जितने भी विषय हैं, उन्होंने संस्कृत को पढ़कर, हमारी भाषाओं को पढ़कर वह ज्ञान अर्जित किया है और हमारे लोग हैं जो उल्टे उधर देखते हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी के चलते . . .

SHRI V. GOPALSAMY: If English is foreign to you, Hindi is foreign to us.

श्री राम नरेश कुशवाहा : छोड़िये, मैं आपको चुनौती देता हूं कि एक भी, किसी भी भारत सरकार के विभाग में, हमारे गृह मंत्री जी बता दें कि कहीं भी हिन्दी में काम होता है । सारा काम अंग्रेजी में होता है और अनुवाद हिन्दी में होता है । आप आज तक अंग्रेजी के गुलाम हैं । भारत का संविधान इतने दिनों के बाद अब हिन्दी में मिला है, बहुत झगड़ा हमने किया, जनता पार्टी सरकार के जमाने में और इतना ही नहीं है हम लोगों के लिये संसद सदस्यों को जो हैंड बुक फार मैम्बर्स है वह हिन्दी में आज तक नहीं आई है, उसको आप आज

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

तक हिन्दी में अनुवाद नहीं कर सके और जबर्दस्ती हमारे घर पर भेज देते हैं केवल अंग्रेजी में साहित्य, कभी कभी हिन्दी में भी साथ भेज देते हैं। लेकिन तीन-चौथाई केवल अंग्रेजी में आता है। तो क्या यह अंग्रेजी लादना नहीं हुआ ? क्या यह हिन्दी लादना हुआ? आप किसको धोखा दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि उत्तर भारत के हिन्दी वाले भी बेईमान हैं। उत्तर भारत की हिन्दी प्रदेशों की सरकारें इस झगड़े की जड़ हैं जो उन्होंने त्रिभाषा फार्मूले में संस्कृत को डाल रखा है।

SHRI V. GOPALSAMY: That is why, Madam, Mr. Maran, has posed the question, do you want 'Hindi India' or 'united India'?

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: This type of threat will not work. *(Interruptions)* .

श्री राम नरेश कुशवाहा: आप मेरी बात सुनिये। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दी प्रदेशों की राज्य सरकारों ने त्रि-भाषा सूत्र में अंग्रेजी को डालकर और संस्कृत को डालकर अतिरिक्त भारतीय भाषाओं को पढ़ने पर रोक लगा लिया है। वहां पर संस्कृत के अध्यापक हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। यह नहीं चाहते कि तमिल भाषी मास्टर चले आएं तमिल पढ़ाने के लिए, गुजराती चले आएं गुजराती पढ़ाने के लिए और बंगाली चले आएं बंगला पढ़ाने के लिए और केवल संस्कृत पढ़ाने वाले (व्यवधान)

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA:**

SHRI V. GOPALSAMY:**.

x

SHRI MURASOLI MARAN: We are second to none in maintaining the unity of the country.'

SHRI YOGENDRA SHARMA:' Let us maintain unity inside the House.

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA:**

SHRI V. GOPALSAMY:**

THE VICE-CHAIRMAN DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Nothing will go on record. Whatever the hon. Members are saying in anger will not go on record. Let me give you my own opinion if everybody is Jn a mood to listen to me. It is a very serious discussion going on. Members are expressing their views. If you get excited, you -will never be able to reach any conclusion or any decision. This creates more hatred than unity. It is better if you let him speak in a very good, constructive way. When you get your chance, you will speak and when he gets his chance, he will speak. Why should you get excited? I do not think there is any need to steam it out here.

श्री हरि सिंह नलवा (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदया... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : अब आप आग में तेल न छिड़किये।

श्री राम नरेश कुशवाहा : महोदया, मैं आपसे कह रहा था कि हिन्दी प्रदेश की सरकारों ने संस्कृत को त्रिभाषा में डाल कर के इस देश का बड़ा नुकसान किया है जिससे उन भाषाओं के लोग गलत समझ रहे हैं कि हमारी भाषा हिन्दी वाले नहीं पढ़ना चाहते और अपनी भाषा हम पर थोपना चाहते हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बेइमानी को करने वाला भी हमारा वर्तमान सत्तारूढ़

दल ही है । शुरू से ईमानदारी से उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इसका दोष किस पर है । यह संस्कृत और अंग्रेजी वाले दोनों एक ही ढंग के हैं । एक मिसाल है —

तुम हम को कहो हम तुम को कहें हाजी,
लेकिन हैं सचमुच दोनों पाजी ।

अंग्रेजी वाले कहते हैं अंग्रेजी रहेगी, संस्कृत वाले कहते हैं संस्कृत रहेगी । असली भाषा जो हिन्दी है उसका नाम खत्म हो जाता है

उपसभाध्यक्ष डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला : देखिये, आपने हाजी को पाजी कहा, अभी कोई नाराज हो जाएगा । (**व्यवधान**) मैं भी नाराज हो सकती हूं (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश कुशवाहा : अब क्या करू मजबूरी है (**व्यवधान**) अब मैं माननीय मारन साहब से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भाई, आपका इस देश के इतिहास में इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान तमिलनाडु का है । तमिलनाडु ने इस देश में पिछड़े वर्गों को, हरिजन आदिवासियों को बहुत बड़ी प्रेरणा दी है और आपने तमिलनाडु में उनकी सरकार बना कर के आदर्श कायम किया है । रामस्वामी नायकर ने इस देश को बड़ी अच्छी प्रेरणा दी है । लेकिन आप रामस्वामी नायकर को तमिलनाडु की जेल में बंद रखना चाहते हैं । आप यह नहीं चाहते कि रामस्वामी नायकर का सिद्धांत सारे हिंदुस्तान में फैले अगर आप उसको अंग्रेजी के बजाय हिंदुस्तान की भाषाओं में और हिंदी में अनुवाद करा करके सारे हिंदी प्रदेशों में दौड़ाते और अगर आप इस अंग्रेजी को ढोने की बजाय तमिल को, कन्नड़ को, मलयालम को, गुजराती को, मराठी को ढोते, हिंदी को ढोते तो आज तमिलनाडु के रामस्वामी नायकर के अनुयाईयों को हिंदुस्तान की गद्दी मिल गयी होती । आप केवल तमिलनाडु की बात करते हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इन्हीं की मिल्कियत है । हम तो हिंदुस्तान को आपकी मिल्कियत बनाना चाहते हैं हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान तामिल लोगों की मिल्कियत हो जाय जिससे हिंदुस्तान में इतनी प्राब्लम्स हैं वे कम हो जांय । लेकिन किससे होगा । आप जिससे लड़ रहे हैं वह हरिजन आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, दबा, कुचला गरीब आदमी है जो रामस्वामी नायकर की पूजा करता है, वह आपकी बात समझता है । रामस्वामी नायकर क्या कह गये हैं । आप किसलिए लड़ रहे हैं, आप किस लिए मर रहे हैं, मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात जब तक हिंदी प्रदेशों में बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में वहां की भाषा में नहीं फैलायेंगे तब तक वह नहीं फैलेगा ।

वल्लभाचार्य दक्षिण में पैदा हुए, रामानुजम दक्षिण में पैदा हुए लेकिन उनकी कीर्तन मंडली चलती है मथुरा में । क्यों चलती है क्योंकि उन लोगों ने अपने सिद्धांतों का अपने भक्ति मार्ग का प्रचार उत्तर भारत में आकर देश की समान भाषा हिंदी में किया । स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात में पैदा हुए, महात्मा गांधी गुजरात में पैदा हुए लेकिन जब राष्ट्र को जगाना था तो राष्ट्र को जगाने के लिए राष्ट्र में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी का आश्रय उन्होंने लिया । राजा राम मोहन राय, सुभाष चन्द्र बोस या इसी तरह के और जो नेता हैं सभी लोगों ने हिंदी का आश्रय लिया । आपको हिंदी से एलर्जी है तो हमको आपसे कुछ कहना नहीं है । लेकिन तामिल भाषा से तो आपको प्रेम होना चाहिए । अगर आप अंग्रेजी की जगह

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

तामिल को ले करके इसमें संशोधन लाते तो राम नरेश कुशवाहा इसका पहला समर्थक होता । एकदम हम इसका समर्थन करते । अंग्रेजी चाहे जिस कीमत पर जाय वह हमारी जन भाषा नहीं है, न हो सकती है । तमिल भाषा जो है उसको हम पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं लेकिन आप हमको मौका नहीं देना चाहते हैं और न यह सरकार मौका देना चाहती है । यह सरकार इतनी जात बदूटे वाली है कि सन 50 से हिंदी की ट्रेनिंग सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही है । हर साल पता नहीं कितना करोड़ों रुपया खर्च होता है और कितने लोग ट्रेन्ड हो गये हैं, सन 50 में जो नौकरी में आये वे अब रिटायर हो रहे होंगे लेकिन आज तक इनकी शिक्षा पूरी नही हुई और सारा काम अंग्रेजी में चल रहा है । यह एक बड़ा भारी लेखा जोखा है । लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा जोश में आकर हिंदी का विरोध न करिये । हिंदी सही मायने में राष्ट्र भाषा है अभी तो राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन यह सचमुच में घर का मालकिन होते हुए भी चेरी है और चेरी रानी बनी हुई है । तो रानी बनाने का एक मात्र कारण है । मान्यवर, जब से इस धरती पर इन्सान पैदा हुआ तबे से तीन गद्दियां है जो इस सारे दुनियां के गरीबों को लूट रही हैं । एक है मठ, महंत की गद्दी, दूसरी है सेठ की गद्दी, तीसरी है राजा की गद्दी । हिंदुस्तान में तीनों जहां बैठते हैं उसका नाम गद्दी होता है । महंत जहां बैठते हैं उसका नाम गद्दी, राजा जहां बैठते है उसका नाम गद्दी, सेठ जहां बैठते है उसका नाम गद्दी . . .

उपसभाध्यक्षा डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : इस कुर्सी का नाम तो गद्दी नहीं है ।

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : यह तो सबसे बड़ी गद्दी है ।

श्री राय नरेश कुशवाहा : हां, वही (व्यवधान) ये तीनों की गद्दियां जो हैं . .

उपसभाध्यक्षा डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : आप सभी लोग बैठते हैं ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : हम भी इसमें शामिल हैं

4. P.M.

श्री रामेश्वर सिंह : यह कुर्सी नहीं बेंच है ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : ये तीनों गद्दियां ठीक उसी तरह से ठगती हैं सारी दुनियां के गरीबों को । जैसा कि रामपूजन पटेल जी कह रहे थे, कहानी साफ नहीं कर पाए-एक नदी के किनारे एक साधु रहता था जो साधु की अगल पर एक चोर था, लेकिन साधु वेश में रहता था? तीन थे-तीनों में तीन गुण थे । एक देखते ही बता देता था कि कहां दाम है, माल कहां रखा हुआ है इस मुसाफिर का । दूसरा देखते ही बता देता था कि कैसे लिया जाए और तीसरा ले लेता था ।

एक सेठ जी कमर में जोड़ा बांध करके रुपया गाड़े हुए थे और पहुंचे वह नाले के किनारे । पहला धूर्त साधु ठग देखते ही कहता है कि दामोदर-जानी कि इनके उदर में दाम है, इसके पेट में दाम बंधा हुआ है । तो दूसरा ठग कहता है कि नारायण-नाले में आने दो । तब तीसरा कहता है वासुदेव-और बास से मार कर के धन छीन लो ।

ठीक वैसे ही यह तीनों ठग हैं और ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाता, लेकिन इन तीनों की वेशभूषा, भाषा, भोजन कभी भी साधारण आदमी के बराबर नहीं रहा। हमेशा यह अलग रहे। राजा कवच, मंडल और गुरुए धारण करता था, तो सेठ जी बढ़िया से बढ़िया दुपट्टा, कपड़ा झाड़ते थे और माटी के महल में भी गेरुए वस्त्र पहनते थे, नहीं तो भभूति रमाते थे। भाषा महंत जी की संस्कृत थी, जो आम आदमी नहीं समझ सकते थे और सेठ जी की कैसी पोथवाली थी, जिसको सब लिखते हैं अंक, सब कपड़े पर कि इतना रुपया गज का खर्चा, इतना मुनाफा लेंगे--आप भी पढ़ लेंगे और हम भी पढ़ लेंगे कि कितना मुनाफा ले रहा है और राजा साहब का तो कहना ही क्या ?

वकील हम रखें और मारन साहब को ही वकील हम रख लें और यह अंग्रेजी में बोलने लगें हम अंग्रेजी जानते नहीं, पता नहीं कि यह हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, या नहीं, हम क्या जानें। तो हमारा वकील हम से ही पैसे ले और हमारे खिलाफ ही बहस करे, यह हमारी समझ में आने वाला नहीं है। आज भी यही बात है, आज भी तीनों की भाषा, वेशभूषा, तीनों का भोजन अलग-अलग है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह तीनों मिल करके लूट रहे हैं और आज भी लूट रहे हैं--जब सेठ कहता है कि अंग्रेजी में काम होगा, महंत कहता है कि संस्कृत में काम होगा और राजा कहता है कि अंग्रेजी में ही काम होगा। अब यहां तो शक्तियां मिली हैं, राजा और सेठ दोनों, और दोनों अंग्रेजी चाहते हैं और इसलिए महंत थोड़ा कमजोर पड़ गया है। लेकिन जितना वह काट सकता है अपनी लबलबाती जीभ से और दांत से, वह काट रहा है कि नहीं हिन्दी की जगह संस्कृत होनी चाहिए बंगला की जगह संस्कृत पढ़ाओ तमिल की जगह पर संस्कृत पढ़ाओ।

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह तीनों के तीनों कभी भी आम जनता से संबंधित नहीं रहे और यह आज भी सारी जनता को धोखा दे रहे हैं और आज भी यह तीनों मिले हुए हैं। जब गद्दी पर संकट आता है राजा पर, तो सेठ की थैली खुल जाती है, जितना चाहो, ले लो पैसा लेकिन गद्दी हमारे गुलाम के हाथ में रहनी चाहिए। आपस में यह तीनों मिले रहते हैं। एक पर संकट आता है, वो बाकी दो मिल करके लड़ते हैं। अगर राजा पर संकट आता है, तो सेठ की थैली खुल जाती है और महंत जो है, वह कोई न कोई धार्मिक झगड़ा खड़ा कर देता है। जब चुनाव आएगा तो गाय-माता की रक्षा शुरु हो जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव के समय यह राजा की रक्षा में महंत भी जाता है और सेठ भी जाता है। उसी तरह से जब सेठ पर संकट आता है, तो महंत और राजा दोनों दौड़ते हैं। महंत ने जो अवसर दिया है, मुट्ठी बांधे आए हो और हाथ पसारे जाओगे यानी कि जब एक पैसा लेकर नहीं आए और लेकर के नहीं जाओगे, तो फिर काहे को यह संसार सपना और वह संसार अपना और सेठ की रक्षा में राजा पहुंच जाता है। आज भी मिल में हड़ताल होती है तो मजदूर 107, 110, 147, 148, 151 आदि धाराओं में बन्द हो जाता है। ये सारी की सारी धाराएं फौजदारी की धाराएं हैं। मजदूर किस मशीन से, ईंट से, पत्थर से पेड़ता है ? उसका झगड़ा मिल के मालिक से, मैनेजर से होता है। लेकिन आज तक एक भी मिल का मालिक

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

या मैनेजर गिरफ्तार नहीं हुआ । मन्दिर में हरिजन जाता है, पुजारी रोकता है । कानून कौन तोड़ता है ? पुजारी । लेकिन गिरफ्तार कौन होता है ? हरिजन । इसलिए कि ये तीनों मिल कर जनता को लूट रहे हैं । यही हिन्दी के साथ हो रहा है । यहां बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु तमाम भारतीय भाषाओं के साथ हो रहा है । यह नहीं चाहते कि जन भाषाओं में राज चले क्योंकि जन भाषाओं में राज चलेगा तो सारा भेद खुल जायेगा । जन भाषा में राज चलेगा तो कोई भी तमिल का जानकार—आई० पी० सी०, सी० आर० पी० सी० खरीद कर पढ़ लेगा, लैण्ड रेवेल्यू मैनुअल पढ़ लेगा और जरूरत के मुताबिक अपना काम चला लेगा । जब नहीं चलेगा तो वह जाएगा वकील के पास । तो यह सारा खेद है और इस जालबट्टे को तोड़ने के लिए इस देश के धनहीन और मनहीन को, जिनके पास गद्दी नहीं है, इकट्ठा होकर इस जालबट्टा को तोड़ने पड़ेगा । अगर इस जाल को नहीं तोड़ पायेंगे तो कहीं इस देश का गरीब नहीं रहेगा । आप क्या चाहते हैं ? *(समय की घंटी)* इस देश में क्यों अंग्रेजी के लिए जोर दिया जा रहा है ? इसलिए जोर दिया जा रहा है—किसी गरीब के रिश्ते से नहीं, किसी गरीब को कुछ देने के लिए नहीं—कि इस देश का ऊंचा वर्ग, चाहे नौकरशाह हो या नेताशाह हो वह नहीं चाहता कि इस देश का आम आदमी राज में हिस्सेदारी ले पाये । अगर अपनी भाषा में इम्तिहान होगा तो गरीब आदमी भी अपने स्कूल में पढ़ने के बाद इन्टरव्यू में पास हो जाएगा, इम्तिहान में पास हो जायेगा, लेकिन यदि अंग्रेजी में इम्तिहान होगा तो फेल होगा । अगर पास कहीं हो भी गया तो जातिवाद के चलते ही हटा दिया जाएगा । लेकिन भाषा भी इसमें कम बाधक नहीं है । क्या वजह है, मैं पूछना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल से कि प्राइमरी स्कूल कहीं भी चल नहीं रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं, लेकिन शिशु मन्दिर और नर्सरी स्कूल हर जगह खुल रहे हैं, अधिक से अधिक पैसा फेंक कर लोग पढ़ा रहे हैं ?

मैं एक बात तमिलनाडु की कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कृषि मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक दौरे में हम संसद-सदस्य दक्षिण भारत गये थे और लगभग एक महीना रहे । जरूरत के मुताबिक सौभाग्य या दुर्भाग्य से सभी मित्र संसद्-सदस्य मुझे ही बोलने के लिए कह देते—हुकमदेव भी थे—जैसी जरूरत पड़ती थी, अंग्रेजी में भी भाषण किया, हिन्दी में भी भाषण किया । लेकिन जब मैं कोयम्बतूर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में पहुंचा, तो मेरे मन में एक बात आई कि देखें होता क्या है । मैंने सुना था कि हिन्दी में बोलूंगा तो मार खाऊंगा । मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं आज तमिलनाडु में मार खाकर जाना चाहता हूं, लेकिन बोलूंगा हिन्दी में । हमारे सभी साथियों ने, कुछ कांग्रेस के भी मित्र थे, राव साहब थे, उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर हिन्दी में मत बोलो, मार खा जाओगे, गड़बड़ हो जायेगी । मैंने कहा चाहे जो हो एक बार आजमाइश करूंगा । तमाम वहां के रिसर्च स्कालर, प्रोफेसर और अच्छे दर्जे के विद्यार्थी ढाई-तीन सौ के करीब थे, कर्मचारी उसके अलावा थे, हजारों की भीड़ थी । मैंने राव साहब से कहा कि आप अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए, मैं बोलूंगा केवल हिन्दी में । आधा घंटा मैं बोला और जब मैंने अन्त में कहा कि हमारे भाषण का अनुवाद हमारे मित्र सत्यनारायण राव करेंगे तो पीछे से एक लड़की बोली कि अनुवाद की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी लोग हिन्दी जानते हैं । जब वहां राव

साहब, वाइस चांसलर के यहां दावत खाने गये तो हमने कहा कि राव साहब, यह क्या मामला है । उत्तर भारत में सुनते हैं कि हिन्दी में बोलने पर यहां मार खायेंगे और मार खाने के लिए हमने हिन्दी में भाषण किया था, लेकिन हमें तो मारने कोई नहीं आया । तो उन्होंने कहा कि हिन्दी सब समझते हैं । तो हमने पूछा कि फिर यह क्यों कहा जाता है तो राव साहब ने एक ही जवाब दिया कि :

It is for you politician, not for us.

और मैं आज भी कह रहा हूं कि यह केवल राजनीतिज्ञों का चोंचला है आम जनता से इसका कोई मतलब नहीं है । कन्याकुमारी में चले जाइए, भोजपुरी में और हिन्दी में हर माल आपको मिलेगा । चटाई बेचने वाली भी आ कर आप से पूछती है और हिन्दी में बात करती है । आप हर माल वहां खरीद सकते हैं केवल हिन्दी में ही बात करके । कन्याकुमारी में हिन्दी में सभी बात करते हैं । कहीं हिन्दी का विरोध नहीं है । लेकिन कलेक्टर के घर कलेक्टर नहीं पैदा होगा, कमिश्नर के घर कमिश्नर नहीं पैदा होगा, सचिव के घर सचिव नहीं पैदा होगा, प्राइम मिनिस्टर के घर प्राइम मिनिस्टर नहीं पैदा होगा, मिनिस्टर के घर मिनिस्टर नहीं पैदा होगा । अगर हिन्दुस्तान में तमिल चलने लगे, अगर यहां तेलुगु चलने लगे, अगर यहां मलयालम चलने लगे, अगर यहां हिन्दी चलने लगे, अगर यहां कन्नड़ चलने लगे, अगर यहां गुजराती चलने लगे, अगर यहां मराठी चलने लगे, अगर यहां बंगला चलने लगे । भाग्यवश, यह सभी लोग अपने बच्चों को नर्सरी स्कूलों में पढ़ाते हैं । उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है । वे केवल अपने पेट की तरफ देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा । अगर आम जनता की भाषा में काम होने लगेगा तो हम कहां जायेंगे । इसलिए मैं गरीबों के हमदर्द, पिछड़े वर्गों के हिमायती और हिन्दुस्तान में पिछड़े वर्गों का झंडा फहराने वाले अन्ना द्रमुक के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों, क्यों आप केवल तमिलनाडु की बात करते हो, सारी हिन्दुस्तान की गद्दी तुम्हारी है । आज गले से गले मिल कर हिन्दुस्तानी भाषा में स्वामी नायकर का संदेश हिन्दुस्तान में फैलाओ और कल हिन्दुस्तान की गद्दी तुम्हारी होगी । भारत हमारे बाप का नहीं है, हिन्दुस्तान हमारे बाप की जागीर नहीं है । हिन्दुस्तान जितना हमारे बाप का है उतना ही आप के बाप का भी है और उतना ही किसी भी हिन्दुस्तानी के बाप का है और जो भी इस गद्दी पर बैठने लायक होगा उनको वह गद्दी मिलेगी और इसी लिए आप अंग्रेजी के माध्यम से नहीं चल सकते । आप जिसके लिए मर रहे हैं, कर रहे हैं, जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वामी नायकर ने जितनी कुर्बानी की, नारायण स्वामी ने, स्वामी राम ने जो संदेश दिया, महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा, डा० लोहिया ने जो कुछ कहा, जिसके लिए उन्होंने कहा, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी उसके बाद आज आप जिसके लिए लड़ रहे हो वह सही है और आपकी नीयत में मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि आप भी उसी के लिए लड़ रहे हो कि जिसके लिये हम लड़ रहे हैं, केवल समझ का फेर है और इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को वापस ले लीजिए और देश की मुख्य धारा में आकर स्वामी राम, स्वामी नायकर का झंडा दिल्ली पर फहराइए । आप कोने में मत रहिये, न कोने में आप रहें और न कोने में हमें रखें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं । जय हिन्द ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (दिल्ली) : उपसभाध्यक्ष महोदया, सदन में इस विधेयक को लेकर चर्चा चल रही है और इसमें काफी गर्मी भी पैदा हो गयी । वास्तव में यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है

[श्री जगन्नाथराव जोशी]

कि आजादी आने के उपरांत 34, 35 साल के बाद भी भाषा जो आपस में एक दूसरे को समझने का माध्यम होना चाहिये । उसके बजाय वह आपस में विवाद और कटुता पैदा करने का माध्यम हो रही है और एक कटुता पैदा करने का साधन बनती जा रही है ।

उपसभाध्यक्ष (डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : वह लड़ रहे थे तो अंग्रेजी में लड़ रहे थे ।

V/hen they were fighting, they were fighting in English.

मौर्य जो भी अंग्रेजी में लड़ रहे थे ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : सवाल यह नहीं है । हमारे मारन साहब जो विधेयक लाये हैं उससे पता लगता है कि उनके मन में आशंका है और उसको दूर करना चाहिये ।

They have definitely got misgivings. They will have o be removed.

सबसे पहली बात तो यह है कि यह भाषा लादी जा रही है । वास्तव में यदि हम अपने संविधान को पढ़ें तो प्रारम्भ में ही अपने को मिलता है : We have given this Constitution unto ourselves.

यह हमीं ने हमको दिया हुआ है । यह किसी ने हमारे ऊपर लादा नहीं है, थोपा नहीं है और यह संविधान के निर्माताओं ने, अंग्रेज चला गया तो आगे चल कर अपने देश का सारा व्यवहार, शासन, प्रशासन, सम्पर्क किस भाषा में चले, इस बात को गंभीरता से विचार करके जब हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया तो उन्होंने 15 साल की अवधि इसलिए रखी कि सामान्यतया बच्चा जब स्कूल में जाता है पांच साल के बाद तो पन्द्रह साल के अन्दर वह पदवीधारी बन जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है । तो 15 साल के अन्दर सबको भाषा आ जाए, इसलिए यह अवधि काफी समझी गई । किन्तु दुर्भाग्य यह है कि न भाषा पन्द्रह साल के अन्दर सबको आई, न जो आरक्षण हमने रखा था 10 साल के लिए, न उसमें प्रगति हुई । जिस बात को हम स्वीकार करते हैं उसको पूरा करने में गड़बड़ करते हैं । जब हमने संविधान में कहा है कि संविधान को खुद को हमने दिया है । उसमें इस बात को स्वीकार किया है कि हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा है तो सबसे पहले तो इस गलतफहमी को दूर करना चाहिये कि यह किसी ने लादी है ।

अभी हमारे मित्र शर्मा जी ने कहा कि अंग्रेजी लादी गई । अंग्रेजी लादी नहीं गई । अंग्रेजी यदि लादी गई होती तो अंग्रेज जैसे ही गये वह चली जाती । उपसभापति महोदया जीवन में चार प्रेणाएं होती हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । ये चार प्रेरणाएं अंग्रेजो शिक्षा से नहीं मिली हैं । उन्होंने शिक्षा कंपलसरी नहीं की अनिवार्य नहीं की । उन्होंने यह वातावरण पैदा किया कि जिसको अंग्रेजी का ज्ञान होगा, उसको नौकरी मिलेगी । जिसको अंग्रेजी आयेगी तो उसको मान सम्मान मिलेगा । तो खुद आगे होकर लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया । श्रीमन, जब अंग्रेज थे, मेरे गांव में कर्नाटक में, नलगुंड में अंग्रेजी पढ़ने की सुविधा न थी, स्कूल बन्द हो गये । । इसलिए मैं पूना गया पढ़ने के लिए और आज अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी आज मेरे ही गांव में अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी स्कूल है, मांटसरी स्कूल है । अंग्रेज चले गये, लेकिन अंग्रेजी चल रही है । यह कोई

लादने से नहीं होगा । यह तो आर्थिक प्रेरणा थी कि अंग्रेजी में ही नौकरी मिलती है, रेलवे में, पोस्टल डिपार्टमेंट में । तो लोगों ने इसको स्वीकार किया । आज अंग्रेज जाने के बाद भी जब लोगों को पता चलता है कि अंग्रेजी में सर्विसेज अपार्च्युनिटीज ज्यादा हैं, इससे मैं अमरीका जा सकता हूं, आस्ट्रेलिया जा सकता हूं, मैं कनाडा भी जा सकता हूं तो अंग्रेजी जानने वाले दुनियां में बहुत हैं, तो लादने का सवाल नहीं है । यह तो एक प्रेरणा है, इससे मुझे कुछ मिलेगा, इस बात को लेकर हमें काम करना होता है ।

श्रीमन्, विभाजन की वजह से सिन्ध उजड़ गया । सिंध सारे भारत में फैल गया और जहां भी सिन्धी आबादी आज है, तमिलनाडु में वह तमिल बोलते हैं, आंध्र में तेलुगु बोलते हैं, सांगली में मराठी बोलते हैं, कल्याण में मराठी बोलते हैं । तो इसके लिए प्रेरणा अर्थ है व्यापार चलाना है । जिस प्रदेश में व्यापार चलाने के लिए जायेंगे वहां की भाषा को वह अपनाते हैं ।

श्रीमन्, पुराने दिनों में शादियां होती थी, जैसे एक राजा बंगाल का हो और रानी दूसरे प्रदेश की, जैसे मैसूर के महाराजा थे, उनकी पत्नी धांग धा, गुजरात स्टेट की थी। पति और पत्नी की भाषा एक दूसरे की नहीं थी । लेकिन जब शादी करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि पति पत्नी की भाषा समझे क्योंकि वह तो काम की प्रेरणा है । चन्द्रगुप्त ने जब ग्रीक कन्या के साथ शादी की तो भाषायी विवाद तो खड़ा नहीं हुआ, प्रेम की, काम की प्रेरणा थी, उसके बाद उनकी भाषा एक हो गई । आज भी तमिलनाडु में सारे लोग सिनेमा देखते हैं । कहां कंपलशन है ? Absolutely there is no compulsion.

[उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : पीठासीन हुये]

किन्तु जब हम सिनेमा देखते हैं तो काम प्रेरणा से देखते हैं । आखिर कुछ तो प्रेरणा होती है ।

मेरे मित्र ने अभी संस्कृत के बारे में भी उपेक्षा की । मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहता हूं किन्तु जो मोक्ष चाहता है चाहे वह मैक्समूलर हो वह संस्कृत पढ़ेगा । जिसके सामने पेट की चिन्ता है वह नहीं पढ़ेगा । पेट की चिन्ता जिसे है जिस भाषा से उसका पेट पूरा होता है उस भाषा को वह पढ़ेगा । आज जो हमारे सामने चार प्रेरणाएं हैं उनको हमको देखने से पता चलेगा कि संविधान के निर्माताओं ने हिन्दी क्यों अपनाई । इस बात से तुलना करना कि साहित्य है या नहीं, यह समृद्ध है या नहीं, ज्ञान भंडार है या नहीं, यह बेमतलब है । यह भी बेमतलब है कि अंग्रेजी में क्या है और हिन्दी में क्या है । हम लोगों ने जो अंग्रेजी पढ़ी वह शेक्सपीयर के नाटक पढ़ने के लिए अंग्रेजी न ही पढ़ी । नौकरी चाहिये थी इसलिए अंग्रेजी पढ़ी । अंग्रेजी आती थी इसलिए शेक्सपीयर के नाटक पढ़े । अंग्रेजी आती थी इसलिए, जो भी किताब अंग्रेजी की मिली वह पढ़ी । पीलू मोदी साहब कहते हैं कि अंग्रेजी में ज्ञान भंडार है क्योंकि हम अंग्रेजी जानते हैं इसलिए कह सकते हैं । रशियन की किताब कोई सामने रखे तो हमें क्या पता कि इसमें क्या ज्ञान है । क्योंकि हम जानते नहीं हैं । दुनियां में कहां कहां और कितना-कितना ज्ञान है हमको नहीं मालूम । हिन्दी इसलिए नहीं स्वीकार की गई कि यह समृद्ध भाषा थी। इससे भी समृद्ध भाषा थी बंगला और तमिल । दो हजार साल पहले 'थिरुवल्लूवर' ने थिरुकुरल लिखा उसमें धर्मार्थ काम की प्रेरणा है और कुछ नहीं है । यह बहुत

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

समृद्ध है किन्तु उस समय उनके सामने जो ज्ञान था, विचार था वह यह था कि सबसे ज्यादा इस देश में समझा जाने वाली भाषा कोई है तो हिन्दी है। मैंने खुद प्रभातफेरी के दिनों में, हिन्दुस्तान को आजादी के समय, 'विजय विश्वकी तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा' हमने गाया था। हम समझते थे इसका मतलब क्या होता है। चर्खा चला कर स्वराज लेना। क्योंकि हम गीता पढ़ते थे। क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाई है तो हिन्दी भी एक माध्यम देशभक्ति का समझी जाती थी। लेकिन आज न स्वदेशी रही, न खद्दर रही और न हिन्दी रही। यह बड़ी अपूर्णता है। किन्तु पूरे देश भर में हिन्दी जानी जाती थी, इसलिए इसे स्वीकार किया गया। इसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि आज सिनेमा देखने का शौक सबको है, कोई भी सिनेमा देख सकता है और टैक्निकल एक्सीलेंस में देखें तो बंगला पिक्चर बहुत बढ़िया चलती है किन्तु बंगाली पिक्चर हिन्दुस्तान में ज्यादा नहीं चलती। तमिलनाडु में भी अंग्रेजी पिक्चर नहीं चलती।

"Gone with the Wind" literally went with the wind".

पिक्चर बहुत बढ़िया है इसके कोई चक्कर में न रहे। अब डेढ़ सौ सालों के बाद दो परसेंट अंग्रेजी आ गई। जो यह कहते हैं वह यह भूल जाते हैं कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है पढ़े और जो नहीं पढ़ना चाहता, छोड़ दें। He never bothered whether that percentage should be increased or not. Why should he bother?

अपने काम के लिए जितने लोग मिलते थे ले कर चले गये। Absolutely there was no compulsion. किन्तु जब हम आजाद हो गये तो आजादी की अनिवार्यता क्या हो जाती है। जैसे माउंट बेटन कुछ ही दिन यहां गवर्नर जनरल रहे, ज्यादा दिन नहीं रहे। यदि कोई अपना कमांडर-इन-चीफ है वह ज्यादा दिन नहीं रह सकता। उस समय हम चर्चा करें कि आज का जो हमारा कमांडर-इन-चीफ है उससे वह बहुत बढ़िया है, ज्यादा जानकार है, फला है ढिमकाना है, तो यह नहीं चलेगा। आजादी का मतलब यह भी होता है कि खुद का विकास करो। खुद की आत्मा को प्रकट करो। यह मुक्ति चाहता है। अगर भाषा को विकसित करना है तो आज जो सरकार ने नीति स्वीकार की है राजभाषा के रूप में वह हिन्दी है। यदि तमिलनाडु के लोग हिन्दी पढ़ना नहीं चाहते, कुछ नहीं कर सकते, नहीं करें। किन्तु सवाल यह है कि सरकारी नौकरी करनी है We are governed by certain conduct rules.

सरकारी नौकरी करनी है, तो आपको करना पड़ेगा। जैसे हम कालिज में पढ़ते थे। उन दिनों वह यू० टी० सी० नाम से चलता था। वहां यह शपथ लेनी पड़ती थी "I will defend my country and my kind."

You are not our king 1 am not bound to defend you.

"don't join U.T.C." I never joined U.T.C.

तो उन्होंने कहा

आखिर हम को यह लगता था कि यह राजा हमारा नहीं है। इनका रक्षण करना हमारा काम नहीं है । फिर भी कई लोग गये । आज आखिर आजादी आने के उपरांत इस देश में सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा के रूप में हिन्दी को अपनाया । एक प्रमाण सिनेमा का है और दूसरा प्रमाण अंडेमान का प्रत्यक्ष है । आज अंडेमान में बंगला भाषी ज्यादा हैं, मलयालम भाषी ज्यादा है, तमिल भाषी ज्यादा है, तेलुगु भाषी ज्यादा हैं, आम लोगों के व्यवहार की भाषा हिन्दी है ।

They have developed it, evelved i.

हर भाषा वाले वहां हैं । इतना होने के बाद भी बोल-चाल की जो भाषा है वह हिन्दी है। किसी उन पे पर थोपी नहीं है। हमें आगे चल कर कहना है सारे देश में कोई सम्पर्क भाषा चाहिये या नहीं ? सवाल पैदा होता है, चाहिये। एक दूसरे को बताने के लिए । हमारे पीलू मोदी जी ने कल एक अच्छी बात कही—

It is means of communication. We want to communicate something exactly.

हम भाव प्रकट करना चाहते हैं । किन्तु ये भाव उसी भाषा में प्रकट किये जा सकते हैं जो अपनी हो । जैसे कि ब्रह्म है। अंग्रेजी का कितना भी जानकार हो, वह ब्रह्म को नहीं प्रकट कर सकता है। ब्रहम का मतलब क्या है ? ब्रह्म को समझने लगे तो ब्रह्म शब्द का निर्माण करने वालों ने कहा कि इसको किसी भाषा की मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता है । स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि ब्रह्म कभी उच्छिन्न नहीं हुआ क्योंकि वह असीम है, किसी मर्यादा में नहीं है । उपनिषदों में यही कहा गया है ।

इसमें मन को भी प्राप्ति नहीं हुई है, वाचा तो बंद ही हो जाती है।

यह जीवन धारा और जीवन-दर्शन की बात है । वही भाषा इसको प्रकट कर सकती है जिस भाषा ने इसको बनाया है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि—

He is dead.

लेकिन हमारे यहां अवस्थान्तरण होता है। मनुष्य मरता नहीं है ।

Man is immortal.

हमारे यहां कहा गया—देहान्त या देहावसान । क्योंकि आत्मा अमर है ।

हमारी भाषा में ही इसको प्रकट किया जा सकता है ।

He is dead. Man is immortal. He is there. His body has gone. His body has perished.

यह हमारी भाषा ही प्रकट कर सकती है, अंग्रेजी नहीं । अंग्रेजी में कहते हैं कि—
Herculeon Task

लेकिन इसके पीछे क्या मतलब है; इसको वही समझ सकता है जिसको अर्थ मालूम हो । हमारे यहां मुष्टि प्रहार, हनुमान मुष्टि या भीम मुष्टि कहते हैं और वह समझ में आ जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि Bones for the late comer. बाद में आने वाले के लिए हड्डी । लेकिन हमारे यहां बाद में आने वाले के लिए भी भोजन होता है ।

No Question of bones for the latetcom-er.

अंग्रेजी में Hitting below belt. । लेकिन हमारे यहां मर्म प्रहार है । इसका मतलब क्या होता है, हम सब समझ जाते हैं ।

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

Unless you know boxing, you do not know what is hitting below belt.

इसी प्रकार से घर के दरवाजे पर लिखा होता है— Beware of Dogs. हमारे यहां अतिथि देव भाव होता है। अतिथि का सत्कार होता है।

Man is known by the company he keeps. This is the ferocious company he is keeping.

भाषा जो होती है वह असली भाव है प्रकट करती है। वह अंग्रेजी भाषा का भादाव नहीं है। यह परम्परा की बात थी। ष मैं श्री मारन से कहूंगा कि भारतीय बैठ।।।एं समान सूत्र में बंधी हुई हैं। बर्नयिकुशवाहा ने कहा कि संस्कृत ने भट्टा लोग दा दिया। लेकिन संस्कृत ने हम को बढ़वारे है। यह ठीक है कि वह आम महा को भाषा नहीं रही, यह सत्य है ज्ञानेश्वर प्र कृत में अपने उपदेश दिये, बल्लूवर ने जैनों में अपने उपदेश दिये। तमिल में मराठी में उपदेश दिये, तिरु संतों ने ल तमिल में लिखा, कम्बन ने तुलझर ला खा और इसी प्रकार से कन्नड़ कोई विशे ड में लिखा, तेलुगू में लिखा। में हमें मायण और कम्पन के भावों में भारतीय ष अन्तर नहीं है। इनको समझने मलयाल कठिनाई नहीं है क्योंकि सभी के हैं, भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। के हैं त में 80 प्रतिशत शब्द संस्कृत समर मिल में 40 प्रतिशत शब्द संस्कृत में मलयालम में फ्राडम स्ट्रगल को क विमोचन कहते हैं। इसको समझने एह कोई कठिनाई नहीं है। यह यक जीवन-दर्शन की बात है। अंग्रेजी में ले। नहीं हो सकता है। भाषा को र विवाद खड़ा करना उचित नहीं है अपनी अपनी जगह की भाषाएं सब अच्छी हैं। किन्तु अब तमिल पढ़ने वाले जो हैं, मारन जी कहते हैं कि नेहरू जी का एश्योरेंस है। ठीक है नेहरू जी का एश्योरेंस है। किन्तु हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हिन्दी कहां से आयेगी, कैसे आयेगी। कोई तो शुरूआत करनी चाहिए, पढ़ना ही शुरू न करें, त्रिभाषा सूत्र है, उसको न करें तो तो फिर हिन्दी कैसे आयेगी? नहीं आयेगी। सीधा सीधा हम लोग यह कह सकते हैं कि हम इस भाषा को नहीं चाहते। लेकिन देश के सारे कारोबार को चलाने के लिए भाषा की जरूरत होती है, समझने के लिए एक दूसरे को समझने के लिए भाषा की जरूरत होती है। देश की रक्षा के लिए सेना में हर प्रदेश का आदमी भर्ती होता है। बिना किसी एक भाषा के वह चल नहीं सकता। कोई न कोई भाषा चलानी पड़ेगी। सभी देशों में चाहे वह रशिया हो और चाहे चीन हो, कनाडा जैसा छोटा देश है वह दो भाषायें लेकर चलता है, स्वीटजरलेंड में तीन भाषायें हैं तो फिर हमारे देश में अपनी कई भाषा सम्पर्क भाषा क्यों न बनें। मैं यह कहना चाहता हूं कि तमाम भाषाओं की वर्णमाला एक है। सभी जगह स्वर अ, आ, ई, ई...हैं लेकिन व्यंजन मलयालम में ज्यादा है। वहां—और है। इसको अगर छोड़ दें तो वर्णमाला एक है, व्याकरण एक है। कर्ता कर्म क्रिया पद एक हैं। अंग्रेजी के साथ यह बात नहीं है। आई गो, इसका हिन्दी में होगा मैं घर जाता हूं, कन्नड़ में कहगे नाम मने—वेंकटसुब्बैया इसको कहेंगे नेने इंटिकी पोतानु, मारन इसको कहेंगे नान वट्टक पोगीरेन। तो सब में क ही कर्ता, कर्म और क्रियापद है। कर्त्ता वही है, कर्म वही है, क्रिया वही है, वर्णमाला समान है। सभी में 40–50 प्रतिशत शब्द संस्कृत से लिये गये हैं, एक सा व्याकरण है, एक सी ग्रामर है, ज्ञान का सारा भंडार एक है। कोई भी किसी भाषा का धर्म ग्रंथ पढ़े सबका

स्रोत एक है। चाहे कम्बन रामायण पढ़ा चाहे तुलसी कृत रामचरित मानस, स्रोत सब का एक है। इसलिए कठिनाई आती है कि आखिर कोई समय कोई सीमा तो हो जब कि इसको किया जाय। एक साल, 15 साल, 30 साल हो गया। 1857 में अंग्रेजो का राज्य यहां पर स्थापित हुआ और 1947 में वे चले गये Within hardly a period of 90 years not only we accepted English but we also identified ourselves with English, So much So that we are not prepared to divorce with it. We are in love with it so much that we can divorce our belowed wife and not english.

यह 90 साल के अंदर हुआ, केवल 90 साल के अन्दर it' we can assimilate ourseives completely with the English language, a known foreign language

तो अपनी भाषा जो है वह कम से कम 45 साल के अंदर तो आ जाय। मैं ज्यादा नहीं कहता। 34—35 साल हो गये। आने वाले दस साल के अन्दर अगर अपने देश की भाषा नहीं अपनाई जाती है तो हम देश में रहने के काबिल नही है और आजादी के भी काबिल नहीं। मैं नैरोबी में गया, 1969 में भी गया, 1973 में भी गया और अभी 1980 में भी गया। 1969 में वह आजाद हुआ था, 1973 में कुछ और था और अब जब 1980 में मैंने देखा वहां की कम्पलोटली उन्होंने स्वाहिलीकरण कर दिया है। स्वाहिली कोई विशेष भाषा नहीं है किन्तु उनको एक अभिमान है कि हमारी भाषा है। हमारी जो भाषा और उसकी जो लिपि है वह कितनी बढ़िया लिपि है क्या बताऊं। एक गरीब सुन्दरी थी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता का शोक करने में रंग जो ओठों में लगा था वह न बिगड़ सके इसलिए उसने शोक में कहा है तात, हे तात। दंतव्य में ओंठ से ओंठ नहीं लगते हैं और इससे उसका सौंदर्य नहीं बिगड़ता। जिस भाषा में इस तरह से पिता का शोक प्रकट करने की सामर्थ्य है उसको हम क्यों छोड़ें यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। हम रोयेंगे माइ डियर फादर करके ? ऐसा क्यों रोयें। जब अपने देश की इतनी समृद्ध भाषा है, इतनी समृद्ध लिपि है जिसमें सारे स्वर और व्यंजन हैं ओष्ठक, तालव्य, दंतव्य और क, ख, ग, घ, च, म....व्यंजन हैं, तमिल में कुछ कम है क न..... बीच वाले नहीं है और इसलिए अगर मारन साहब को महात्मा गांधी नाम लिखना है तो जो केवल तमिल अक्षरों को पढ़ेगा वह महात्मा गांधी पढ़ेगा। वहां कांती और गांधी एक ही हैं। इतना होने के बाद भी भाषा में एक सौंदर्य है। ये जो भाषायें हैं वे खाने के लिए नहीं हैं। झगड़ा हिन्दी और प्राकृत भाषाओं का नहीं है और असल में इनका कोई झगड़ा है भी नहीं और इसलिए अनिवार्य रूप में हिन्दी को स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इससे न कन्नड़ जायेगी न तमिल जायेगी। इस से अपने सिर पर बैठी अंग्रेजी चली जाएगी। तमिलनाडु में जब 1967 में डी एम० के० का राज था तो उस समय बड़ी जोरदार उत्साह था। लोग पढ़ कर तमिल म एम० ए० हो गये लेकिन बाद में पता चला कि उनको तो पोस्टमैन की नौकरी नहीं मिलती तो अंग्रेजी चाहिये। जब तक अर्थ की प्रेरणा केवल भाषा (समय की घंटी) एक मिनट और। यह होगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मारन साहब को मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सारे दक्षिण में हिन्दी का विरोध नहीं है। न कर्नाटक में है, न आन्ध्र में

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

है और न केरल में है बल्कि वे इसको पढ़ना चाहते हैं। विरोध का इन्होंने नया झण्डा ऐसा खड़ा किया कि उसका रियेक्शन होने लगा। यह तो अंग्रेजी का विरोध है, यह बिलकुल कहेंगे। किन्तु वहां कर्नाटक की सरकार ने निर्णय लिया कि प्राथमिक भाषा कन्नड़ होगी। इस बात को ले कर कर्नाटक के एक हिस्से में जहां 70% 80% तमिल भाषी रहते हैं वहां विरोध हो रहा है। यह तमिल भाषी अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं, कन्नड़ भी नहीं पढ़ना चाहते। वहां बेलगाम में जो मराठी हैं, कन्नड़ नहीं पढ़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं मैं बताना चाहता हूं वेंकटसुब्बया जी से मैं बता देना चाहता जब बेलारी एकत्र था विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु और कन्नड़ दोनों भाषाएं चलती थीं किन्तु राज्य पुनर्गठन के बाद आज भी बेल्लारी में कन्नड़ आदमी तेलुगु नहीं सीखना चाहते। यह भाषा द्वेष क्यों है ? कन्नड़ आदमी आसानी से तेलुगु सीख सकता है। तमिल आदमी आसानी से कन्नड़ सीख सकता है किन्तु जो यह भाषा के लिए द्वेष का वातावरण पैदा हो रहा है मैं उसके लिए सरकार को जिम्मेदार समझता हूं। यह बड़ी भारी असफलता 30-35 साल में रही है उन्होंने वातावरण तैयार नहीं किया जिस बात को ले कर स्वाधीनता के उपरांत स्वाभिमान से साधन मान कर सारे भारतवर्ष में हिन्दी पढ़ाई शुरू होती तो आज एक नयी पीढ़ी खड़ी होती। हिन्दी जानता है, तमिल जानता है, जो हिन्दी जानता है कन्नड़ जानता है। हिन्दी जानता है मल्यालम जानता है हिन्दी जानता है तेलुगु जानता है मराठी जानता है तब यह गड़बड़ी नहीं होती। कहीं भी नहीं होती। They are facing the difficulties only the government is solely responsible. 30-35 साल में जिन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि 90 साल में यहां अंग्रेजी आई थी तो कम से कम 45 साल में अपने देश की भाषा जो है वह आएगी। इसलिए सदन के सामने जो विधेयक आया है मैं इसका विरोध करता हूं किन्तु साथ ही साथ यह भी मैं बताना चाहता हूं कि : Don't block the road for a Prime Minister from the South. आगे चल के देश का प्रधानमंत्री किसी को बनना है यदि उसको हिन्दी नहीं आएगी तो वह नहीं बन सकता है। मैं डी० एम० के० की बात समझ सकता हूं। What about AIDMK? It is All-India Anna D.M.K.

आल इंडिया अब हो जाता है तो फिर विरोध कर के काम नहीं चलेगा फिर भारत की भाषी को स्वीकार करना पड़ेगा। सभी आचार्य जितने हैं उनका जिक्र किया गया।

They all came from South.

चाहे शंकराचार्य हो चाहे रामानुजाचार्य हो चाहे मध्वाचार्य हो

They all dominated the national scene.

आज हम दक्षिण वाले ऐसा क्यों समझें कि हिन्दी नहीं आएगी। यह अपमान है। देश के दो टुकड़े मत करिये। यानी उत्तर में चलती है हम दक्षिण वाले क्यों। हम क्या अंग्रेज हैं। हमारा बाप भी अंग्रेजी नहीं जानता था। हम अंग्रेज नहीं है। Don't divide the country on the illusion of English सारा भारत एक है। जब संस्कृत थी तब भी वहां संस्कृत बोलते नहीं थे कुछ लोग बोलते थे किन्तु जो सम्पर्क भाषा के रूप में हम विकसित करना चाहते

हैं इसलिए सरकार और जनता इन दोनों में संवाद हो। सरकार वह वातावरण पैदा करे, सरकार अनुदान दे, सरकार इसकी उपेक्षा न करे और जिनको असल में कठिनाई है वह रिमूव करने की कोशिश करें ताकि आगे चल के सभी की एक भाषा राजभाषा के रूप में हिन्दी हो। धन्यवाद।

SHRI AJIT KUMAR SHARMA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, *alter* listening *to* the speech of the hon. Member from Tamil Nadu while moving his amendment and also speeches from senior Members like Shri P. Ramamurti and Pillo Mody, I was wondering as to what will happen to the future of this country.

Of course, in this respect, I must thank the mover of the amendment bill for atleast proving that the continuance of English in this country has paralysed the whole country completely; it has divided the whole nation. Not only that. It has also obstructed the political integration and the economic development of the country. His amendment further establishes that this country cannot develop without removing the burden of English over our heads. And it is also proves that Pandit Nehru was completely wrong in giving the assurance in 1963, for continuance of English, until the non-Hindi States agree to abolish it. I come from a non-Hindi State. My mother-tongue is not Hindi. But this assurance of Pandit Nehru is one of the greatest blunders committed by *one ol* the great leaders of the country. For which, we are now suffering. It has broken the will of the whole nation. It has produced a kind of self-contradiction, it has produced a split personality, not only of every individual of the nation, but also of the whole nation..

However, I must congratulate the Mover of this Bill for reminding us . that we should pass a Resolution in this House that aU Memibers should speak either jn the national Language Hindi, or in their own State languages and not in English. Because, by speaking in English, we cannot represent the people, nor their sentiments, nor their problems. We can at best represent a particular class, a very small class of vested interests and none else. Again, the Mover is wrong when he establishes a base for his amendment. He says that the Government, by various ways, has tried to establish a domination of Hindi over non-Hindi areas and that has given mor^ importance to Hindi than English.

Now, Sir, let me point out that this country made the most Jangerous compromise in 1947 by agreeing to the division of this country. There after this compromise damaged the free will of the whole nation which has built up during the Independence struggle. Thereafter, we have made one compromise after another, to tbe deteriment of the nation. We framed a Constitution where we could not even decide the name of our country. We could not name it Bharat. We called it 'India that is, Bharat' This compromise stood in the way of developing and strengthening. I v/tll of the nation. We have the ICS frame work. We choose to call the ICS the most patriotic class of people in th; country, forgetting the entire nation. We have made a very dangerous com promise in regard to the national lan guage. We want promotion of Hindi. But how do we promote Hindi? By keeping the supremacy of English over the country. The compromise between Hindi and English resulted in the Supremacy of English. That is what has happened. Now Sir, without discussing it further, let me read out the answer of the Agri-eulture Minister which I received to day. My question related to the number of books, journals and magazines published by the Department of Agriculture during 1980-81 and 1981-82. I also wanted to know the mim-. ber 0f books published in English and the number of books published in each of the Indian languages. Now let me read out the answer. Mind you, it is the Agriculture Ministry which

[Shri Ajit Kumar Sharma]

concerns the rural people, not the people with good urban dresses that we represent. The answer is: The Directorate of Extension has published 7 books in English and one book in Hindi. The Directorate oi Economics and Statistics has published 15 books in English and one book in Hindi and only two books in bilingual languages. I need not explain further to show not only the incompetsnce of the Government but the conspiracy of the Government against the people. They have deceived the whole nation by telling that we are propagating Hindi and other Indias languages. In my question, I had particularly referred to one journal, 'Home Science', which is a very useful journal published in English by thia Ministry. K this journal were published in all the languages of India the entire people of the country would have profited from it. There are very good things in it, but surprisingly, that journal is not published in many languages except in English. Or course, recently they have started publishing it in Hindi but so far they were publishing it only in English and in no other Indian Language. The Mover of the Bill was complaining about the Government's neglicence of English and its attempt to establish Hindi. Again to point out that he is wrong, let me quote what the Prime Minister her self says. Here is a report from the 'Indian Express' of 10th March, 1981. She was speaking in Port Blair to quote. The Prime Minister Mrs. Gandhi has said that the English language cannot be ignored and those who can educate their children through the English medium should educate through English. Not only does she say that you should learn English but she has recommended the English medium schools for all Indian children. In this way not only has she gone against the Constitution but has also misguided the whole nation. The statement also contains that the Government does no want to force any language on the people. The report also says: While laying the foundation of Tamil and Telugu medium schools, the Prime Minister has asked the people to educate their people in English—only English medium. This is how the conspiracy is being hatched at the Government level. I do not blame my hon. friend from Tamil Nadu for his objection, but I would have been very glad to support his amendment il he had replaced the word by 'Tamil', i.e.," "Notwithstanding anything in this Part or in any other provision of this Constitution the Tamil language shali also be the official language of the Union in addition to Hindi and shall continue to be used for aU the official purposes of the Union" 1 would have very gladly supported that. English is not the language which represents the people of India. We cannot express, we cannot develop through the medium of English, we ean become only artificial Indians. In spite of our claiming that we have got the bigger scientific body, we have failed to compete and we have not been able to receive a Nobel Prize, in spite of all the wealth that we have got in scientific research, because as long as we depend on English as our medium, this country will not succeed in making original contributions of world standard.

Sir, I am amazed when a senior Communist leader like hon. Shri P. Ramamurti wants English to continue. I find a con« tradiction between his own political philosophy and his statement in this House. A Communist believes in the people's force, people's power and people's power cannot grow in India through the medium of English. Possibly this is the greatest tragedy in the Communist movement in India. They have not been able to lake roots because they have not relied on Ihe people's power and the people's language. If we want to develop this country, if we want to grow into a strong and united nation, definitely we cannot grow through the medium of English.

As far as Tamil Nadu is concerned, I may tell my friend that I have also visited his State—not only visited but I have

travelled very widely ia Tamil Nadu, —in different parts for a total period of three months. 1 would like to cite two instances to show that his contentions raised in this House, are not correct. May be, he does not know his own State. Once I was travelling from Chennamalai to Chidambaram in a third class railway compartment. When I got into the railway compartment at Chennamalai, initially I found that nobody could speak either Hindi or English. Everybody was speaking in Tamil. So I was sitting silent when after two or three stations, one youngman entered the compartment looked around and immediately came to rne and asked me in Hindi where I was coming from anj where I was going. I v/as surprised because that area was a DMK area at that time. I asked him how he could speak Hindi and whether it was not a DMK area. He said: "Yes, it is a DMK area and I am an active worker of the DMK". I said: "Why are you speaking in Hindi?" He said: "1 am not only a DMK Member in my village but, I have also started a school to teach Hindi". *(Interrupptions)* A private school. Then I asked: "Why are you doing that?" He said: "We know that we shall need Hindi in Ihe course of about 10 years". *(Time bell rings)* Please give me a few minutes more.

श्री रामेश्वर सिंह : ये अच्छा बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए कुछ और, दूसरों से ऊलजलूल मत कहलवाइये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : रामेश्वर सिंह जी, आपको जो बात कहनी है, मुझ से कहिए । आपको लगता है मैं ऊलजलूल बोल रहा हूं ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं आपको नहीं कह रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : मैं आप को बहुत अच्छी तरह समझता हूं । भाषा के बारे में सावधानी बरता करिए, कम से कम मुझ से ।

SHRI AJIT KUMAR SHARMA: I will finish within a few minutes. He told ma two very interesting things. He said that in 10 yeaiV time, they would need Hindi.

श्री रामेश्वर सिंह : जो कुर्सी पर बैठ जाता है, उसका दिमाग ऊंचा हो जाता है ।

श्री कल्पनाथ राय : तुम्हारा दिमाग भी ऊंचा हो गया है ।

SHRI AJIT KUMAR SHARMA: He said: "Until we are prepared with our knowledge of Hindi we shall go on opposing publicly the enforcement of Hindi". He also told me another very intea thing. He said: "Rajgopalachari is a Brahmin. He has asked the Brahmins to leam Hindi but he has asked the non-Brahmihs not to learn Hindi". *(Interruptions)*

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH (Nominated): It is wrong.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA: Maybe, I am not saying. . .*(Interruptions)*

SHRI V. GOPALSAMY: Actually he wanted to introduce Hindi in 1937. Later he changed his view and opposed it stoutly.

SHRI AJIT KUMAR SHARMA; It is not a question of defaming. That young-man was telling me; nor did I believe it. But it is a different matter.

श्री रामेश्वर सिंह : 1912 में जब महात्मा गांधी तमिल नाडु गये थे तो उन्होंने वहां हिन्दी में भाषण किया था और राजगोपालाचारी ने, सब ने भाषण हिन्दी में दिया था ।

SHRI AJIT KUMAR SHARMA: Anyway, I do not want to enter into a debate over this issue. My request to Mr. Maran is, this amendment is not the way either to develop Tamil or to develop Hindi. The fact is, if I may say so, imny leaders and many educated persons from the Hindi

[Shri Ajit Kumar Sharma]

areas are also guilty of going against the interests of Hindi. We find that there is a new elite ruling class growing and we find that even in the Hindi areas. This new class is educating their children in English medium and they are going against the interests of Hindi. Now the proper course is to develop all our languages, and the Government of India **must** take sufficient care, extra care, to **develop** all the Indian languages. I have already mentioned about the Agriculture Ministry. We have got here the Publications Division of the Government of India. Now, they have published English editions of ail of Mahatma Gandhi's works, Jawaharlal Nehru's works and so many other big books. They talk about national integration but, they have not ye~t, in thirfy-fr»e years, made available any of these books in the different Indian languages. So, tliis is a very criminal negligence on the part of the Government of India. If fhe Government of India behaves well, there will be no objection from Tamil Nadu also, because if Tamil language **receives** greater help from the Government of India, possibly there will be no objection from the Tamil Nadu people or the Tamil Nadu Government.

Now**,** with these words, I would request the Mover of the Amendment BiH to withdraw his Amendment Bill because he has given a chance to discuss this issue and that will be helping the growth of the nation also. Now, if he withdraws it. that will be a better service done by him.

Thank you.

डा० रुद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका मैं हृदय से आभारी हूं कि जो आप ने मुझे संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 पर, जो कि एक गैर-सरकारी विधेयक है, अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है । मैं इस के विरोध करने के पवित्र कर्त्तव्य का पालन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मैं सर्व प्रथम इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहता हूं वह इस प्रकार है संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अधीन हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 (2) में उपबंध है कि अंग्रेजी 1965 तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होती रहेगी जिन के लिये वह 26 जनवरी, 1950 के तुरन्त पहले प्रयुक्त हो रही थी ।"

यह निर्णय संपूर्ण राष्ट्र के नेताओं और संविधान के निर्माताओं ने सर्वसम्मति से लिया था । उसमें सम्मानित सदस्य के प्रदेश के सम्मानित नेतागण भी सम्मिलित थे ।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairmaa, it is already five O'clock. We have the Half- iv!lour Discussion.

डा० रुद्र प्रताप सिंह : उनकी भी सहमति थी कि अंग्रेजी 1965 तक ही चलायी जाए । परन्तु यह सरकार की उदारता है कि 1975 व्यतीत हो गया, 1985 आने वाला है और स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जो कि अत्यन्त दुखद और लज्जाजनक है । हम हिन्दी बोलने वाले तो फिराक साहब का एक शेर याद करते हैं :

"यह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं,
अब वह चल पड़े हैं, अब वह आ रहे हैं ।"

महोदय, एक अन्य पंक्ति को भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं ।

[उपसभापति महोदय पीठासीन हुए ।]

श्री उपसभापति : आपकी बहस जारी रहेगी । अब आधे घंटे की बहस आरम्भ होगी ।

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 601 GIVEN ON 11TH OCTOBER, 1982 REGARDING SETTING UP OF A BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT IN WESTERN U.P.

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, यह अच्छा ही हुआ कि आपने भाषा के कठिन प्रश्न से सदन को यह मौका दिया कि जनता की भलाई के ज्वलंत प्रश्नों पर हम लोग विचार करें ।

श्रीमन्, मैंने 12 जुलाई को अनस्टार्ड क्वेश्चन के जरिये माननीय न्याय मंत्री जी से यह पूछा था कि "क्या सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के सवाल पर बैठाये गये जसवन्त सिंह आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?"

श्रीमन्, माननीय न्याय मंत्री जी का उत्तर इस प्रकार का था ;

"जसवंत सिंह आयोग का गठन 4 सितम्बर, 1981 को किया गया था और उसे 6 मास के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी । आयोग ने नवम्बर 1981 से प्रभावी ढंग से कार्य करना आरम्भ कर दिया है । उसने फरवरी, 1983 तक समय बढ़ाये जाने की मांग की है क्योंकि उसे जो कार्य सौंपा गया है उसमें बहुत काम किया जाना है । यह तय किया गया है कि इसकी अवधि को 6 महीने के लिए अर्थात् 3 सितम्बर 1982 तक बढ़ा दिया जाए जिससे कि वह अपना कार्य पूरा कर सके ।"

माननीय, दूसरी बार मैंने 11 अक्तूबर को इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न और किया था । उसमें मंत्री जी ने यह कहा, मैं कोट कर रहा हूं –

'जसवंत सिंह आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । उसका कार्यकाल 6 मास और बढ़ाकर 3 मार्च 1982 तक के लिए कर दिया गया है ।' यह मंत्री जी का उत्तर है ।

श्रीमन्, सरकार ने जसवंत सिंह आयोग को दो दफे ऐक्सटेंशन दिया, 6 महीने का एक दफे और 6 महीने का अभी हाल में भी और मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि बड़े गूढ़ प्रश्न हैं जिनके ऊपर उनको इंवेस्टिगेशन करना है, जांच करनी है । लेकिन मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन से ऐसे मूल प्रश्न हैं, कौन सी बारीकियां, पेचीदगियां कानून की हैं जिनके बारे में आयोग को इतना लम्बा समय दिया गया है, उसके कार्यकाल में इजाफा किया गया है । इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है । इसलिए यह आधे घंटे की चर्चा का विषय बना है ।

माननीय, साइंटिफिक इंवेस्टीगेशन का काम तो उनके सुपुर्द किया नहीं गया है, लेबोरेटरी में जायेंगे या यंत्र मंगाये जायेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं थी । बहुत स्पेसिफाइड प्रश्न था । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14 मार्च को एक प्रस्ताव पास करके मंत्रि परिषद ने केन्द्रीय सरकार को भेजा था । प्रस्ताव बिलकुल आइने की तरह साफ था । उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 डिवीजनों में हमारा यह विचार है, हम चाहते हैं और सरकार का यह विचार है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ, बेंच पश्चिम